हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के मुख्यालय निगम बिहार शिमला–2 के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अंकेक्षण अवधि 04/2011 से 03/2012

भाग–एक

1 (क) प्रस्तावना :–

निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हिमाचल प्रदेश) को, आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण नियम–2004 की धारा 28(3) के अन्तर्गत विहीत प्रावधानों व हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या एच0एस0जी0–4(डी)1–1/92/2 दिनांक 13.09.2004 के अनुसार, आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण हेतु अधिकृत किया गया है। तदानुसार आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के मुख्यालय निगम बिहार के लेखाओं अवधि 04/2011 से 03/2012 का अंकेक्षण एवं निरीक्षण का कार्य किया गया। अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्न अधिकारियों द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर कार्य निष्पादित किया।

क्र0सं0	मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नाम	अवधि
1	श्री एस0सी0 सूद	29.7.2009 से 31.5.2011
2	श्री बी0डी0 जोशी	1.6.2011 से 31.12.2011
3	श्री बी0बी0 कालरा	9.1.2012 से 31.3.2012

एवं श्री जगदीप पवांर मुख्य लेखा अधिकारी द्वारा मुख्यालय में नियन्त्रण एवं आहरण/संवितरण अधिकारी के पद का कार्य निष्पादित किया गया।

(ख) हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के मुख्यालय निगम बिहार शिमला–2 के लेखाओं अवधि 04/2011 से 03/2012 के अंकेक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त विवरण

क्रम संख्या	गम्भीर अनियमितता का संक्षिप्त विवरण	पैरा संख्या	राशि (₹) लाखों में
1	दिनांक 31.03.12 तक ग्राऊंड रैन्ट की राशि आबंटियों से वसूली न करना	4	36.07
2	कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि की राशि को "Other Receipts" शीर्षक के अन्तर्गत अनाधिकृत रूप से आय में दर्शाये जाने बारे	5	11.92
3	यात्रा भत्ता, अवकाश रियायत यात्रा, चिकित्सा व्यय, एवं भवन	6	27.35

	निर्माण अग्रिमों की कई वर्षों से वसूली/समायोजन न करना		
4	लेखन व मुद्रण विभाग से 31.03.12 तक अग्रिम का समायोजन न करना	7	2.91
5	सावधि निवेश में अनुचित प्रकार से बिना तथ्यों की पुष्टि किए अन्तशेष में दर्शाना	8.4	25.04
6	सावधि लेखा का सत्यापन सम्बन्धित बैंकों के प्रमाण पत्रों से न करवाया जाना	8.5	280.89
7	आबंटियों से प्राप्त राशि को उचित प्रकार से मूल राशि व ब्याज प्राप्ति में लेखांकित न करना	9	80.96
8	विभिन्न आवासीय बस्तियों से पिछले कई वर्षों से देय राशि की वसूली न करना	9.1	340.12
9	धरोहर राशि को जब्त न करना	9.2	16.45
10	आंबटियों से ब्याज के रूप में कम वसूली करना	9.3	2.82
11	विज्ञापनों पर राशि के अनुचित एवं अनुपयोगी व्यय	11	16.91
12	तकनीकी अधिकारियों को Four Tier Pay Scale के अन्तर्गत गलत वेतन निर्धारण करने के कारण अधिक भुगतान	12	5.15
13	प्रतिनियुक्ति पर गये हिमुडा कर्मचारियों की ग्रेच्युटी अंशदान प्राप्त न करना	14	7.36

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :–

गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के उपरान्त नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में संलग्न **परिशिष्ट ''क''** में दर्शाई गई है। वर्ष 1984–85 से 2009–10 तक मुख्यालय से सम्बन्धित लगभग 276 पैरे शेष हैं जिनका वर्ष वार विवरण निम्न प्रकार है :–

क्रम संख्या	वर्ष	शेष पैरों की संख्या
1	1984–85	1
2	1990–91	3
3	1992–93	3
4	1996–97	1
5	1997–98	5
6	1998–99	1

7	1999–2000	5
8	2000–2001	11
9	2001–2002	13
10	2002–2003	7
11	2003–2004	1
12	2004–2005	12
13	2005–2006	14
14	2006–2007	8
15	2007–2008	15
16	2008–2009	14
17	2009–2010	52
18	2010–2011	56
	योग	**222**

पूर्व शिमला विकास प्राधिकरण के मुख्यालय से सम्बन्धित पैरे

1	1989–90	1
2	1990–91	1
3	1991–92	3
4	1992–93	2
5	1993–94	2
6	1994–95	3
7	1995–96	5
8	1996–97	11
9	1997–98	11
10	1998–99	7
11	1999 से 2001	8
	योग	**54**

अतः सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के मुख्यालय निगम बिहार शिमला–2 के उपरोक्त शेष आडिट पैरों में अपेक्षित कार्यवाही करने के उपरान्त इन पैरों का निस्तारण करवाना सुनिश्चित करें।

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षण :–

अवधि 4/2011 से 3/2012 तक का अंकेक्षण कार्य श्री बसंत सिंह कंवर, उप निदेशक, के पर्यवेक्षण में सर्व श्री अनिल शर्मा, अनिल मेहरा, मंजीत अनुभाग अधिकारियों द्वारा दिनांक 25.3.2013 से 7.6.2013 तक प्राधिकरण मुख्यालय निगम बिहार शिमला–2 में किया गया। विस्तृत जाँच हेतु मास 3/12 के लेखों का चयन किया गया जिसके परिणाम आगामी पैराग्राफ में समाविष्ट किया गया है।

वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन प्राधिकरण के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है। नियन्त्रण अधिकारी द्वारा दी गई गलत सूचनाओं अथवा सूचना उपलब्ध न करवाने के लिए लेखा परीक्षा विभाग उतरदायी नहीं होगा। लेखा परीक्षा विभाग का उत्तरदायित्व केवल चयनित मास तक ही सीमित है।

3 अंकेक्षण शुल्क :–

अवधि 4/2011 से 3/2012 तक के आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के समस्त मण्डलों एवं मुख्यालय के अंकेक्षण की लेखा परीक्षा शुल्क ₹3,23,800/–(तीन लाख तेईस हजार आठ सौ) आंका गया है। इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/चैक के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला–9 को भिजवाने हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सचिव, आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण हिमाचल प्रदेश, शिमला–2 को अधियाचना संख्याः फिन (एल0ए0)एच(2) सी (15) (14) 122/88–,खण्ड–11 6142, दिनांक 19.9.2013 द्वारा भेजने बारे अनुरोध किया गया है।

4 दिनांक 31.03.12 तक ग्राऊंड रैन्ट ₹36.07 लाख आबंटियों से वसूली न करनाः–

आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित विभिन्न आवास बस्तियों, कमर्शियल दुकानों एवं कार्यालयों इत्यादि के आबंटियों से ग्राऊंड रेन्ट की राशि प्रतिवर्ष प्राप्त की जानी अपेक्षित थी। ग्राऊंड रेन्ट प्राप्ति से सम्बन्धित अभिलेख की पड़ताल करने व अंकेक्षण में उपलब्ध करवाई गई सूचना के आधार पर पाया गया कि आबंटियों से दिनांक 31.03.2012 तक ₹3607409.00 वसूली हेतु शेष थी जिसका विवरण अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट 'क–1'** में संलग्न है। यह भी पाया गया कि अधिकतम राशियाँ गत 20 वर्षों से लम्बित चली आ रही हैं तथा वसूली हेतु कोई भी ठोस प्रयास नहीं किए जा रहे है। ग्राऊंड रैन्ट की वसूली हेतु शेष राशि ₹3607409.00 का लेखांकन तुलन पत्र (बैलेन्स शीट) में नहीं किया जा रहा है यद्यपि

अंकेक्षण द्वारा पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2010 से 3/2011 के पैरा संख्या 4 में भी यह आपत्ति उठाई गई थी फिर भी इस त्रुटि के सुधार हेतु कोई ठोस कार्यवाही अमल में नहीं लाई जा रही है। तुलन पत्र में बकाया/अदत्त आय को न दर्शाए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। अनेक वर्षों से लम्बित चली आ रही आय की प्राप्ति/वसूली हेतु कोई भी ठोस प्रयास न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व भविष्य में लम्बित आय की वसूली हेतु ठोस पग उठाए जाएं।

5 कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि ₹11.92 लाख को "Other Receipts" शीर्षक के अन्तर्गत अनाधिकृत रूप से आय में दर्शाये जाने बारेः–

हिमुडा मुख्यालय के रेवन्यू लेजर वर्ष 2011–12 की जॉच करने पर पाया गया कि हिमुडा अधिकारियों द्वारा दिनांक 21.4.2011 को हिमुडा कार्यालय आदेश संख्या HIMUDA/Acctts-CPF Board Sheet/2010-dated 21.4.2011 के अन्तर्गत ₹1192675.00 पृष्ठ संख्या 511 पर कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि फंड में से H.P. Housing and Urban Development Authority (Employees Contributory Provident Fund) Rules, 2006 की धारा 17 के प्रावधानों के अन्तर्गत आहरित करके हिमुडा की आय में जमा की गई थे और परिणामस्वरूप वर्ष 2011–12 के लाभ–हानि खाते में "Other Receipts" शीर्षक के तहत दर्शाई गई थी। पड़ताल करने पर पाया गया कि यह राशि उन खातेदारों से सम्बन्धित थी जिनके द्वारा यह राशि कई वर्षों से क्लेम नहीं की गई थी और हिमुडा द्वारा उन कर्मचारियों के खातों को Dead Account माना गया था। उपरोक्त नियमों की पड़ताल करने पर पाया गया कि इन नियमों में Dead Account की जमा राशि को संस्था की आय में वापिस जमा करवाने का कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। इस प्रकार हिमुडा अधिकारियों द्वारा अनाधिकृत रूप से राशि का आहरण अंशदायी भविष्य निधि से करके हिमुडा आय में जमा किया गया। ऐसा करके न केवल हिमुडा की आय को अनावश्यक रूप से बढ़ाया गया है परिणामस्वरूप हिमुडा द्वारा देय आयकर में अनावश्यक रूप से बढ़ौतरी ही नहीं की गई अपितु Himachal Pradesh Housing and Urban Development Authority (Employees Contributory Provident Fund) Rules, 2006 के प्रावधानों का भी उल्लंधन किया गया। यदि यह राशि कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि में ही जमा रहती जैसा की पिछले कई वर्षों से थी तो इस राशि पर किसी भी प्रकार का कोई आयकर देय नहीं था। इस प्रकार राशि को अनाधिकृत रूप से हस्तांतरित करके हिमुडा के आयकर दायित्व में अनावश्यक रूप से बढ़ौतरी की गई। अतः इस सम्बन्ध में कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि से राशि को अनाधिकृत रूप से हस्तांतरित करने को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा इस राशि को वापिस कर्मचारी भविष्य निधि में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाए और साथ ही इस राशि पर चुकाए गए आयकर की वसूली उचित माध्यम से वसूल की जानी सुनिश्चित की जाए।

6 ₹27.35 लाख के यात्रा भत्ता, अवकाश रियायत यात्रा, चिकित्सा व्यय एवं भवन निर्माण अग्रिमों की कई वर्षों से वसूली/समायोजन न करनाः–

विभिन्न अग्रिमों की पड़ताल करने पर पाया गया कि निम्नलिखित राशियों विभिन्न अग्रिमों के रूप में गत कई वर्षों से वसूली/समायोजन हेतु लम्बित थी। अंकेक्षण में उपलब्ध करवाए गए अभिलेखों से यह स्पष्ट नहीं होता कि वास्तव में यह राशियॉ कब से व किन अधिकरियों/कर्मचारियों के नाम से समायोजन हेतु लम्बित है। अग्रिमों की वास्तविक अदायगी का तिथिवार विवरण अंकेक्षण के दौरान उपलब्ध नहीं करवाया गया। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 125/2013 दिनांक 6.4.2013 द्वारा सूचना मॉगी गई थी परन्तु कोई सन्तोषजनक सूचना उपलब्ध नहीं हुई इन अधिकारियों/कर्मचारियों/विभागों द्वारा दिनांक 31.3.2012 तक समायोजन लेखा प्रस्तुत न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ–2 ₹736422.93 के विभिन्न अग्रिमों भुगतानों का सम्बन्धित कर्मचारियों से दण्ड ब्याज सहित वसूली करके समायोजन किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएः–

खाता वही पृष्ठ	**अग्रिम का विवरण**	**दिनांक 31.3.2012 को अग्रिम की बकाया राशि वसूली/समायोजन हेतु शेष**
477	स्टाफ अग्रिम	24089.46
487	यात्रा भत्ता अग्रिम	128464.15
388	अवकाश रियायत यात्रा अग्रिम	17030.50
405	चिकित्सा व्यय अग्रिम	32216.57
408	स्कूटर अग्रिम नगर विकास प्राधिकरण	28250.00
265	भवन निर्माण अग्रिम	2504661.00
	कुल योग	**₹2734711.68**

7 लेखन व मुद्रण विभाग से 31.3.12 तक अग्रिम राशि ₹2.91 लाख का समायोजन शेषः–

लेखा शीर्ष "विविध अग्रिम" की जॉच करने पर पाया गया कि मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश के नाम ₹291686.94 की राशि दिनांक 31.3.2012 को समायोजन हेतु शेष थी वर्ष 2003–2004 से इस राशि की स्थिति निम्न प्रकार थीः–

खाता बही पृष्ठ संख्या	वित्तीय वर्ष	अग्रिम राशि (₹) में	वर्ष में समायोजित राशि (₹) में	वर्षान्त में बकाया राशि (₹) में
485	2003–2004	1,66,342.94	1,01,740.00	64,602.94
491	2004–2005	1,85,593.00	2,06,307.00	43,888.94
404	2005–2006	2,00,000.00	1,81,218.00	62,670.94
121	2006–2007	2,50,000.00	2,39,020.00	73,650.94
472	2007–2008	3,75,000.00	3,14,135.00	1,34,515.94
437	2008–2009	3,50,000.00	1,39,788.00	3,44,727.94
562	2009–2010	3,00,000.00	2,86,756.00	3,57,971.00
523	2010–2011	1,50,000.00	1,35,896.00	3,72,075.00
445	2011–2012	2,00,000.00	2,80,389,00	2,91,686.94

उपरोक्त विवरण से स्वतः स्पष्ट होता है कि मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग को अग्रिम राशियों का भुगतान उनके पास शेष राशि होने पर भी किया गया था जो दिनांक 31.03.2012 तक बढ़कर ₹291686.94 तक हो गई है। ₹2,91,686.94 की राशि का समायोजन मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभागों के साथ लम्बी अवधि से न किया जाना एक गम्भीर अनियमितता है इस राशि के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता क्योंकि पाए गए अन्तशेष के सम्बन्ध में कोई भी प्रमाण पत्र लेखन एवं सामग्री विभाग से प्राप्त नहीं किया गया जिससे वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो पाती। यद्यपि इस सम्बन्ध में पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदनों में भी आपत्ति उठाई जाती रही है फिर भी राशि के समायोजन हेतु कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई थी। उपरोक्त वर्णित गम्भीर त्रुटि आवश्यक छानबीन एवं निपटारे हेतु उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से लाई जाती है।

8 मुख्य कार्यालय सावधि लेखा :–

मुख्य कार्यालय के सावधि लेखा की पड़ताल करने पर निम्न अंकेक्षण आपत्तियाँ पाई गई

8.1 सावधि निवेश से सम्बन्धित सूचना सावधि निवेश रजिस्टर व तैयार शडयूल में स्वतः स्पष्ट रूप से न किया जानाः–

सावधि निवेशों की जांच करने पर पाया गया कि किए गए निवेशों से सम्बन्धित सूचना तथा लागू ब्याज दर, निवेश अवधि, परिपक्वता पर प्राप्त/बैंक द्वारा दी गई राशि, पुनः निवेश की स्थिति में लागू दर समय अवधि का स्वतः स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया था तथा नही परिपक्वता पर पुनः निवेश की स्थिति में आवश्यक उचित लेखाकंन, प्राप्त ब्याज/संशोधित मूल राशि के सम्बन्ध में नहीं किया गया पाया जिस कारण सावधि लेखा स्वतः स्पष्ट स्थिति न दर्शा कर निवेश बारे सही स्थिति स्पष्ट नहीं होती। इसके अतिरिक्त पुनः निवेशित राशियों की स्थिति को तैयार किए गए शडयूल में पूर्व अवधि बारे उचित सूचना न दर्शा कर केवल वर्तमान सूचना का ही उल्लेख किया गया है उदाहरणार्थ निवेश वर्ष 2006 में किया गया जो कि वर्ष 2008 में परिपक्वता पर इसे पुनः निवेशित कर दिया गया परन्तु तैयार शडयूल इस सम्बन्ध में कोई भी स्थिति न दर्शा कर केवल वर्ष 2008 को किए गए पुनः निवेश की सूचना ही दर्शाता है। करोड़ों सावधि रूपयों के सावधि निवेश बारे सम्बन्धित शाखा द्वारा आवश्यक अभिलेख नियमानुसार उचित प्रकार से तैयार नहीं किया गया था तथा अनेक त्रुटियां अभिलेख में पाई गई, जोकि अपने आप में ही एक गम्भीर अनियमितता को दर्शाता है। यद्यपि इस सम्बन्ध में गत वर्षों से अनेक आपत्तियॉ उठाई जाती रही है फिर भी हिमुडा अधिकारियों द्वारा कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। सावधि निवेश रजिस्टर तथा तुलन पत्र के साथ संलग्न शडयूल उचित प्रकार से तैयार न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। मामला आवश्यक कार्यवाही हेतु पुनः उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु लाया जाता है।

8.2 समस्त बैंकों से टी0डी0एस0/स्त्रोत पर आयकर की कटौती सम्बन्धी प्रमाण–पत्र प्राप्त न करनाः–

₹2448477.00 को समायोजन वाऊचर संख्या 160, वर्ष 2011–12 द्वारा टी0डी0एस0 अकाऊंट को डेबिट एवं टी0डी0एस0 एडजस्टेबल अकाऊंट को क्रेडिट किया दर्शाया गया है वाऊचर के साथ संलग्न किए गए टी0डी0एस0 प्रमाण पत्र जो वस्तुतः निम्न बैकों से ही प्राप्त किए गए हैः–

क्र0सं0	बैंक का नाम	टी0डी0एस0 की राशि जो बेंक द्वारा काटी गई
1	यूको बैंक, निगम बिहार, शिमला–171002	228343
2	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया	2448477
3	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	45399
4	यूनाईटेड बैंक ऑफ इण्डिया	23714
5	पंजाब नैशनल बैंक, भराड़ी	17309
6	हिमाचल ग्रामीण बैंक	8198
		₹2747726

जबकि हिमुडा द्वारा एफ0डी0आर0 खाते अनेक बैंकों में रखे गए है (जिनका विवरण निम्न दिया गया है)

क्र0सं0	बैंक का नाम	एफ0डी0आर0 सारणी अनुसार दिनांक
1	एच0डी0एफ0सी0 बैंक	1050801.95
2	केनरा बैंक	4500000.00
3	आई0सी0आई0सी0 आई0 बैंक	1191571.00
4	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दि माल शिमला	1339193.00
5	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लोअर बाजार, शिमला	5000000.'00
6	बैंक ऑफ महाराष्ट्र, शिमला	1500000.00
7	येस बैंक, शिमला	3000000.00
8	ओ0बी0सी0 बैंक शिमला	837871.00
9	स्टेट बैक ऑफ पटियाला, संजौली, शिमला	10000000.00
10	पंजाब नैशनल बैंक, दी माल, शिमला	5000000.00
11	पंजाब नैशनल बैंक, संजौली, शिमला	12000000.00
12	पंजाब नैशनल बैंक, घेडा चौकी, शिमला	2500000.00
		47919436.95

टी0डी0एस0 के प्रमाण पत्र केवल छः बैंकों के ही प्राप्त करके समायोजन वाऊचर पारित किया गया था। इस सम्बन्ध में टी0डी0एस0 प्रमाण पत्रों के अभाव में यह जॉच नही की जा सकी की क्या केवल छः बैंकों द्वारा ही टी0डी0एस0/स्त्रोत पर आयकर की कटौती की गई थी और शेष बैंकों द्वारा देय कुल ब्याज/अर्जित ब्याज बिना टी0डी0एस0 कटौती किए खाते में जमा

किया गया था। यदि कुल ब्याज/अर्जित ब्याज बिना टी0डी0एस0/स्त्रोत पर आयकर की कटौती किए बिना ही हिमुडा के खाते में जमा किया गया है। उस स्थिति में भी बैंकों से टी0डी0एस0 की कटौती न करने से सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्राप्त किए जाये ताकि यह सत्यापित हो सके कि बैंक द्वारा खाते में जमा किए गए ब्याज पर वित्तीय वर्ष के दौरान आयकर की कटौती नहीं की गई है। अतः वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए सभी बैंकों में उपरोक्त बैकों के अतिरिक्त जहां भी हिमुडा द्वारा राशियों/पूंजी जमा की गई थी टी0डी0एस0 सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्राप्त किए जाऐ और आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा कटौती किए गए टी0डी0एस0 का इन्द्राज खातों में किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

8.3 टी0डी0एस0/स्त्रोत पर आयकर की कटौती की गई राशि का लेखाओं में कम लेखांकन किया जानाः–

टी0डी0एस0/स्त्रोत पर आयकर की कटौती सम्बन्धी प्रमाण–पत्र की जॉच करने पर पाया गया कि निम्न बैंकों द्वारा एफ0डी0आर0 पर अर्जित ब्याज पर टी0डी0एस0/स्त्रोत पर आयकर कटौती की गई थी और इन बैंकों द्वारा टी0डी0स0/स्त्रोत पर आयकर की कटौती सम्बन्धी प्रमाण–पत्र भी दिया गया था परन्तु हिमुडा द्वारा कम राशि का समायोजित वाऊचर की प्रविष्टि लेखा पुस्तिका में की गई थी जिसके कारण ₹98003.00 टी0डी0एस0 की राशि तुलन पत्र में कम दर्शाई गई। अतः इस सम्बन्ध में कम राशि लेखाकंन करने बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए और साथ ही भविष्य में इस तरह की चूक से परिहार किया जाए।

क्र0सं0	**बैक का नाम**	**टी0डी0एस0 की कटौती की गई राशि जिसका बैंक द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया गया**	**टी0डी0एस0 की राशि जिसका समायोजित वाऊचर पारित किया गया**	**टी0डी0एस0 की कम लेखांकन की गई राशि**
1	हिमाचल ग्रामीण बैंक	94977	8198	89779
2	यूको बैंक, निगम बिहार, शिमला	45114	36890	8224
	कुल योग	**140091**	**45088**	**98003**

8.4 ₹25.04 लाख के सावधि निवेश अनुचित प्रकार से बिना तथ्यों की पुष्टि किए अन्तशेष में दर्शानाः–

सावधि निवेश रजिस्टर की जॉच करने पर पाया गया कि सावधि निवेश रजिस्टर के पृष्ठ 20 व 21 पर आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक, शिमला में ₹1191571.00 और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दी मॉल शिमला में ₹1312715.00 का क्रमशः निवेश किया गया दर्शाया गय था परन्तु किए गए निवेश के सम्बन्ध में कोई भी विवरण अर्थात किस तिथि को राशि निवेश की गई, कितनी अवधि के लिए किया गया और किस ब्याज दर से निवेश किया गया का कोई उल्लेख नहीं पाया गया था। तुलन पत्र के साथ संलग्न शडयूल के अनुसार यह राशि 31.1.2005 और 10.11.2005 को क्रमशः निवेशित दर्शाई गई थी। सावधि निवेश रजिस्टर में की गई प्रविष्टि अनुसार केवल यह वर्णित किया गया है कि यह निवेश किया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि ₹2504286.00 के निवेश बारे हिमुडा अधिकारियों को कोई स्पष्ट जानकारी नहीं थी तथा लेखा में लेखाकरण वास्तविकता को नजर अन्दाज करके किया गया था। अतः इन त्रुटि बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व सम्बन्धित बैंकों से किए गए निवेश बारे आवश्यक प्रमाण पत्र करके लेखों में आवश्यक लेखांकन/कार्यवाही नियमानुसार की जाए।

8.5 ₹280.89 लाख के सावधि लेखा का सत्यापन सम्बन्धित बैंकों के प्रमाण पत्रों से न करवाया जानाः–

सावधि लेखा की जॉच करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार विभिन्न बैंकों के सावधि लेखा में दिनांक 31.3.2012 को ₹28089442.00 जमा दर्शाई गई थी परन्तु इस राशि का सत्यापन बैंकों द्वारा जारी आवश्यक प्रमाण पत्र पत्रों से नहीं करवाया गया। सावधि लेखा में शडयूल और सावधि रजिस्टर की जॉच करने पर पाया गया कि जमा राशियों की उचित सूचना स्वतः स्पष्ट रूप से नहीं दर्शाई गई थी। तैयार लेखों से यह स्पष्ट नहीं होता कि समय–समय पर किए गए निवेश की क्या स्थिति थी, जिस कारण किए गए निवेश की उचित जॉच किया जाना सम्भव नहीं हो पाया। सावधि निवेश का आवश्यक सत्यापन बैंकों द्वारा जारी प्रमाण पत्रों से न करवाए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए एवं आवश्यक प्रमाण पत्र अविलम्ब प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण के दौरान पुष्टि करवाई जाए। उपरोक्त प्रकरण आवश्यक उचित कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से लाया जाता है।

क्रम	बैंक का नाम	दिनांक 31.3.2012 कों सावधि लेखाा में जमा राशि
1	आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक शिमला	1191571
2	बैंक ऑफ महाराष्ट्रा शिमला	1500000
3	येस बैंक शिमला	3000000
4	भोरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, शिमला	397871
5	पंजाब नेशनल बैंक, संजौली, शिमला	12000000
6	पंजाब नैशनल बैंक, दी मॉल शिमला	5000000
7	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, छोटा शिमला	5000000
	योग	**28089442**

8.6 ₹6.15 लाख का अन्तर बैंक प्रमाण पत्र व सावधि अभिलेख में पाया जानाः–

पी0एन0बी0 घोड़ा चौकी, शिमला, एच0डी0.एफ0सी0 बैंक, शिमला और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, शिमला द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र सावधि अभिलेख में वर्णित राशि के साथ मेल नहीं करते थे। जिसमें ₹615197.64 का अन्तर पाया गया जिस बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित की जाए।

क्र0सं0	बैंक का नाम	अभिलेखानुसार सावधि खाता	बैंक प्रमाण पत्र अनुसार
1	पी0एन0बी0 घोडा चौक, शिमला	2500000	2604188.00
2	एच0डी0एफ0सी0 बैंक, शिमला	1050801.95	1497924.74
3	यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया, शिमला	2000000	2063886.85
		5550801.95	**6165999.59**
		अन्तर	**₹615197.94**

9

समायोजन वा0सं0	मास	राशि (₹)
146	03/2012	7230174
147	03/2012	91180
148	03/2012	114506
149	03/2012	89016
150	03/2012	350997
151	03/2012	120000
152	03/2012	100310
	कुल योग	**8096183**

आबटियों से प्राप्त ₹80.96 लाख को उचित प्रकार से मूल राशि व ब्याज प्राप्ति में लेखाकिंत न करनाः—

उपरोक्त समायोजन वाऊचरों द्वारा विभिन्न आवास बस्तियों जिनकी हिमुडा लेखाओं में फाईनल कास्टिंग कर ली गई है, के आंबटियों से वर्ष 2011—12 में प्राप्त हुई किस्त राशियों का समायोजन लेखा शीर्षों "कोस्ट रिसीवेबल" व "ब्याज प्राप्ति" में किया गया था यह समायोजन हाऊसिंग कालौनी बद्दी, पांवटा साहिब, परवाणु, पालमपुर, शोघी, सोलन तथा संजौली से सम्बन्धित था। उपरोक्त वाऊचरों की जॉच करने पर पाया गया कि आंबटियों से प्राप्त कुल किस्त ₹8096183.00 को ब्याज की प्राप्ति लेखा शीर्ष में ₹4500927.00 तथा विभिन्न कलौनियों के "कौस्ट रिसीवेबल" लेखा शीर्ष में ₹3595256.00 की राशि समायोजित की गई जॉच करने पर यह पाया गया कि इन दोनां लेखा शीर्षों को किया गया विभाजन अनुमान के आधार पर ही किया गया जबकि यह आंबटियों से प्राप्ति हेतु शेष रही मूल राशि के आधार, पर उस पर देय ब्याज की गणना करके सही लेखाकंन/समायोजन किया जाना अपेक्षित था। सम्बन्धित शाखा द्वारा इस सम्बन्ध में कोई भी अभिलेख तैयार ही नहीं किया गया था कुछ प्रकरणों में समस्त प्राप्त राशि को ब्याज प्राप्ति लेखा शीर्ष में ही समायोजित कर दिया गया। यदि कोई भी मूल राशि आंबटियों से लेने हेतु शेष ही नहीं थी, ब्याज किस राशि पर प्राप्त किया गया। उपरोक्त

वर्णित अनियमित समायोजन बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा लेखों में सुधार हेतु ठोस प्रयास किए जाने सुनिश्चित किए जाएं।

9.1 विभिन्न आवासीय बस्तियों से पिछले कई वर्षों से ₹340.12 लाख की वसूली न करना तथा न ही आंबटन रद्द करनाः–

विभिन्न आवासीय कलौनी में आंबटित फ्लैट/प्लाट की राशि की वसूली आंबटियों से कई वर्षो से लम्बित है केवल आवासीय कलौनी भटोली (कला) व मन्धला बद्दी में ही विभिन्न वर्षों से ₹34012246.00 की वसूलीलम्बित है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है। हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा इस राशि की वसूली हेतु दिनांक 31.3.2012 तक कोई भी प्रयास नहीं किए गए थे। फ्लैट/प्लाट की एवज में राशि कई वर्षों से प्राप्त न होने के कारण उक्त फ्लैट/प्लाट के आंबटन की शर्तों के अनुसार रद्द किया जाना व धरोहर राशि को नियमानुसार जब्त किया जाना अपेक्षित था।

अतः यह मामला उच्च अधिकारियों के ध्यान में आंबटित कलौनियों के फ्लैट/प्लाट की ₹34012246.00 की वसूली ब्याज सहित शीध्र करने तथा जिन आंबटियों से राशि प्राप्त नहीं हो रही है उनका आंबटन नियमानुसार रद्द करके, धरोहर राशि का नियमानुसार जब्त करने तथा रद्द किए गए फ्लैट/प्लाट को पुनः बाजार भाव पर आंबटित करने हेतु लाया जा सकता है। इसके अतिक्ति आवासीय कलौनी भटोली कला व मन्धाला बद्दी के अतिरिक्त अन्य कलौनी जिनसे कई वर्षों से फ्लैट/प्लाट की राशि की वसूली लम्बित है का विवरण विभागीय तौर पर करके नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही की जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

क्र0 सं0	आवासीय बस्ती का नाम	आंबटित व्यक्ति कानाम व पता श्री/श्रीमती	मकान प्लाट/सं0	आबंटन की तिथि	दिनांक जिस दिन अन्तिम राशि प्राप्त हुई	फ्लैट/प्लाट की अन्तिम लागत	प्राप्त कुल राशि	बकाया राशि
1	बसाल सोलन	विनय कुमार दिल्ली	कैट–I, प्लाट नं0 126	26.7.08	6.9.08	1760000	440000	1320000
2	–यथोपरि–	कंवलजीत सिंह, उत्तर प्रदेश	कैट–II, प्लाट नं0 15	26.7.08	17.9.08	1320000	330000	990000
3	–यथोपरि–	गिरीश चन्द्र, दिल्ली	कैट–II, प्लाट नं0 85	26.7.08	6.9.08	1320000	330000	990000

4	बददी व्यवसायिक	गुरवचन सिंह, सोलन	बूथ नं0 10, बददी फेज–III	25.8.04	6.8.04	572000	144224	427776
5	परवाणु व्यवसायिक	ईश कपूर	बूथ नं0 74 परवाणु	27.8.04	15.9.04	575000	144772	430228
6	–यथोपरि–	पुनीत कपूर	गोदाम नं0 08 परवाणु	23.10.09	15.9.04	560000	141022	418978
7	परवाणु सोलन	मैसर्ज राजा राम परवाणु	दुकान नं0 1, परवाणु	14.3.08	17.11.09	2320000	580662	1739338
8	बददी	मैसर्ज एल ग्रेस गुड़गॉव	दुकान/आवासीय भवन भटोली कलां बददी साईट नं0 1	14.3.08	10.4.08	4500000	1125000	3375000
9	बददी	मैसर्ज कन्ट्री फेम नई दिल्ली	साईट नं0 II भटोली कला बददी	14.3.08	16.4.08	4110000	1027500	3082500
10	बददी	अंकित गर्ग बददी	दुकान नं0 3, बददी	10.5.07	8.11.07	3760000	940000	2820000
11	बददी	सीमा देवी बददी	दुकान नं0 14, बददी	10.5.07	8.11.07	3500000	875000	2625000
12	बददी	राजेश कुमार	दुकान नं0 5, बददी	10.5.07	21.3.09	2250000	1112500	1137500
13	बददी	जगन नाथ	दुकान नं0 9, बददी	10.5.07	29.7.08	4200000	1051805	3148195
14	बददी	प्रेम चन्द	दुकान नं0 11, बददी	10.5.07	8.11.07	2150000	540500	1609500
15	परवाणु	विनोद मित्तल परवाणु	दुकान नं0 7, परवाणु	19.5.2000	17.5.2000	612000	153000	459000
16	बददी	सीमा गोयल हिसार	टाईप IV प्लाट नं0 डी–43	14.8.07	15.6.07	446635	131600	315035
17	बददी	जागिन्द्र कौंर चंण्डीगढ़	दुकान नं0 12, बददी	5.10.07	29.7.08	3650000	914350	2735650
18	बददी	अमित अरोड़ा दिल्ली	दुकान नं0 5, बददी	14.3.08	28.7.08	2650000	663629	1986371
19	बददी	गुरवचन	दुकान नं0 7,	28.4.08	28.7.08	3552000	889825	2662175

		कुकरेजा चंडीगढ़	बददी					
20	बददी	सुरेश शर्मा पंचकुल्ला	दुकान नं0 4, बददी	23.10.09	19.10.'09	2320000	580000	1740000
							कुल	34012246

9.2 ₹16.45 लाख की धरोहर राशि को जब्त न करनाः—

अंकेक्षण के दौरान आवास बस्ती बसाल (सोलन), बद्दी, हमीरपुर एवं कांगड़ा में आंबटित प्लाट की खातावहियों की पड़ताल पर पाया गया कि ₹16054500.00 मूल्य के आंबटित प्लाट में से आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण को केवल ₹1645360.00 धरोहर राशि की प्राप्ति हुई। आवास बस्तियां आंबटन हेतु बनाए गए नियम व औद्योगिक क्षेत्र आंबटन हेतु बनाए गए नियम 12 (iii)के अनुसार यदि आंबटियों के द्वारा प्लाट आंबटन की शर्तों का पालन नहीं किया जाता तो प्राप्त धरोहर राशि को जब्त किया जाना अपेक्षित था परन्तु हिमुडा द्वारा ऐसा नहीं किया गया जिससे हिमुडा को ₹14409140.00 का नुकसान उठाना पड़ा। हिमुडा द्वारा प्लाट आंबटन हेतु बनाई गई शर्तों के अनुसार यदि आबंटित व्यक्ति द्वारा प्लाट आंबटन की शर्तों का पालन नहीं किया जाता तो प्लाट का आबंटन रद्द किया जाना भी अपेक्षित था तत्पश्चात धरोहर राशि को जब्त किया जाना चाहिए था। यदि आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा प्लाट का आबंटन जिनका विवरण निम्न प्रकार से है रद्द किया जाता तो उस स्थिति में एक तो धरोहर राशि को जब्त किया जाता तो इन प्लाट की पुनः नीलामी करके हिमुडा द्वारा अधिक राशि प्राप्त की जा सकती थी। अतः ₹16054500.00 मूल्य के आबंटित प्लांट जिसका विवरण निम्न प्रकार है का आंबटन रद्द न करने व ₹1645360.00 की धरोहर राशि को जब्त न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा आबंटित प्लाट का आंबटन प्लाट का आंबटन रद्द करके व धरोहर राशि को जब्त करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्र0 स0	आवासीय बस्ती का नाम	आंबटित व्यक्ति का नाम व पता श्री / श्रीमती	मकान प्लाट / सं0	आबंटन की तिथि	फ्लैट / प्लाट की लागत	प्राप्त धरोहर राशि	बकाया राशि	खाता वही पृष्ठ सं0
1	बसाल सोलन	ज्योति दत्ता नई दिल्ली	कैट—I, प्लाट नं0 100	26.7.08	1760000	176160	1583840	108
2	—यथोपरि—	विकास	कैट—I,	13.10.08	1760000	176000	1584000	132

		जेठवानी	प्लाट नं0 1003					
3	–यथोपरि–	मैसर्ज आंचल सिंह	कैट–II, फ्लैट नं0 ब्लाक 21	23.8.10	1950000	195000	1755000	188
4	–यथोपरि–	रंजीत सिंह	कैट–II, फ्लैट नं0 2 ब्लाक 21	23.8.10	1950000	195000	1755000	189
5	–यथोपरि–	प्रकाश चन्द	कैट–I, फ्लैट नं0 3 ब्लाक नं0 1	8.2.08	1882000	188200	1693800	211
6	–यथोपरि–	यतिश गुप्ता	कैट–I, फ्लैट नं0 4 ब्लाक नं0 1	15.9.10	2350000	235000	2115000	222
7	बददी	संजय मितत्तल पंचकुला	दुकान नं0 2 बददी	5.10.07	3500000	350000	3150000	329
8	हमीरपुर	सुनीता हमीरपुर	प्लाट नं0 89 हमीरपुर	23.7.02	472500	20000	452500	–
9	कांगड़ा	विकास वर्मा कांगड़ा	दुकान नं0 2 कांगड़ा	23.8.01	215000	55000	160000	–
10	कांगड़ा	पवन कुमार वर्मा	दुकान नं0 3 कांगड़ा	23.8.01	215000	55000	160000	–
					16054500	1645360	14409140	

9.3 ₹228426 आंबटियों से ब्याज के रूप में कम वसूल करना:–

आंबटियों की खाता वहियों का पड़ताल करने पर पाया गया कि हिमुडा द्वारा विभिन्न आंबटित प्लाटों की अन्तिम लागत निर्धारित करने के उपरान्त शेष बकाया राशि जमा करने बारे सूचित किया गया था परन्तु कुछ आंबटियों जिनका विवरण परिशिष्ट "ख" पर दिया गया है।

इस द्वारा अन्तिम किश्त का भुगतान विलम्ब से किया गया। इस प्रकार विलम्ब से जमा की गई राशियों पर हिमुडा द्वारा नियमानुसार ब्याज की कोई भी वसूली नहीं की गई थी। नियमानुसार हिमुडा द्वारा इस तरह के मामलों में 14**%** की दर से ब्याज राशि की वसूली की जानी अपेक्षित है। इस प्रकार नियमों की अनदेखी करके आंबटियों से भुगतान में विलम्ब हेतु ब्याज के ₹228426/– कम वसूल किये गये थे। अतः नियमानुसार ब्याज की वसूली न करने बारे तथ्यों सहित स्थिति स्पष्ट करते हुए ब्याज की वसूली सम्बन्धित आंबटियों से तुरन्त की जानी सुनिश्चित की जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

9.4 आंबटियों से वर्ष के अंत में वसूली योग्य राशि (मूल एव ब्याज) को लेखा शीर्षक "Account Receivables/Debtors" में शामिल न करने बारे

वर्षांत 31.3.2012 को समस्त आंबटियों से उनको आंबटित प्लाटों/फ्लैटों से भविष्य में किश्तों के रूप में मूल प्राप्य राशि व विलम्ब से जमा राशियों पर प्राप्य ब्याज राशियों का कोई भी विवरण/शडयूल हिमुडा द्वारा न तो तैयार किया गया था और न ही इसे तुलन पत्र में सम्पति साईड के Account Receivables/Debtors" में शामिल किया गया था। चूकिं हिमुडा के अन्तिम खाते दोहरी लेखा प्रणाली पर आधारित है इस आधार पर वर्षांत पर विभिन्न व्यक्तियों/संस्थाओं द्वारा कितनी राशि का भुगतान किया जाता है तथा उनसे कितनी राशि प्राप्त करने हेतु शेष है का पूर्ण विवरण अन्तिम खातों में दिया जाना अपेक्षित है जिससे कि तुलन पत्र की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सके। परन्तु आंबटियों से प्राप्त योग्य मूल व ब्याज राशि का कोई भी विवरण/शडयूल तैयार न करना तथा इस राशि को तुलन पत्र में न दर्शाना अपने आप में एक गम्भीर मामला है जिसे हिमुडा के उच्चाधिकारियों के विशेष रूप से ध्यान में लाया जाता है। इसके अतिरिक्त यह सुझाव दिया जाता है कि प्रत्येक वर्षांत को विभिन्न्न आंबटियों से प्राप्त योग्य मूल व ब्याज राशियां के विवरण/शडयूल तैयार करके तुलन पत्र में सम्पत्ति साईड के Account Receivables/Debtors" में दर्शाया जाना सुनिश्चित किया जाये व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

9.5 आंबटियों की खातावहियों का दोहरी लेखा पद्धति के सिद्धान्तों के अनुसार रख–रखाव न करनाः–

आंबटियों की खातावहियों की पड़ताल पर पाया गया कि खाता वहियों का रख–रखाव दोहरी लेखा पद्धति के सिद्धान्तों के अनुसार उचित प्रकार नहीं किया गया था नियमानुसार जिन आंबटियों को फ्लैट/प्लाट का आंबटन किया गया उनसें जिस तिथि को राशि देय होगी उसकी

प्रविष्टि डैबिट कॉलम में दर्शाई जानी अपेक्षित है तथा इन्स्टालमैन्ट की राशि समय पर प्राप्त न होने की स्थिति में उस पर देय ब्याज की प्रविष्टि भी डैबिट कॉलम में दर्शाई जानी अपेक्षित है व आबंटित व्यक्ति से मूलधन व ब्याज की जितनी राशि शेष है उसकी प्रविष्टि खातावही के शेष कॉलम में दर्शाई गइ जानी अपेक्षित है। हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा आंबटियों से देय इन्स्टालमैन्ट की राशि की प्रविष्टि खाता वही के डेबिट कॉलम में नहीं की जा रही है न ही देय ब्याज की प्रविष्टि डेबिट कॉलम में की जा रही है आबटियों से कुल कितनी राशि शेष है उसकी प्रविष्टि भी खाता वहियों के शेष कॉलम में नहीं दशाई जा रही है। आंबटियों के खातों में दोहरी लेखा पद्धति के सिद्धान्तों के अनुसार प्रविष्टि न करना एक गम्भीर अनियमितता है। यह मामला उच्च अधिकारियों के ध्यान में खाता वहियों का रख–रखाव नियमानुसार करने हेतु लाया जाता है ताकि खाताधारकों के खातों की उचित पड़ताल की जा सके। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाएं।

10 समायोजन वाऊचर संख्या 166 दिनांक 31.3.2012 ₹210300032.00

Employees Superannuation Pension Fund के अन्तिम शेष को ₹4485000.00 अनाधिकृत रूप से बढ़ौतरी करके वर्ष 2011–12 की Balance Sheet के Current Liabilities & Provisions Schedule-C की मद संख्या 9 के अन्तर्गत दर्शाने बारेः–

उपरोक्त समायोजन वाऊचर की पड़ताल करने पर पाया गया कि HIMUDA द्वारा Employees Superannuation Pension Fund का अन्तिम शेष ₹210300032.00 वर्ष 2011–12 की Balance Sheet के Current Liabilities & Provisions Schedule-C की मद संख्या 9 के अन्तर्गत दर्शाया गया था। जॉच करने पर पाया गया कि यह पेन्शन फंड LIC India, शिमला ब्रांच के पास HIMUDA Employees Pension हेतु निवेश किया गया था। LIC India शिमला के पत्र संख्या GSCAB/G-109/ दिनांक 29.5.2012 द्वारा HIMDA Authorities को उनकी पालिसी GSDLK Policy No. 317921 जो की Employees Superannuation Pension Fund के बारे में है, के सम्बन्ध में सूचित किया गया कि दिनांक 31.3.2012 को पॉलिसी का अन्तिम शेष ₹205815032.00 था। इस तरह से HIMUDA Authorities द्वारा अनियमित ढ़ंग उपरोक्त फंड कि गलत गणना करके उक्त फंड को ₹4485000.00 अधिक दर्शाया गया जिसका पूर्ण विवरण निम्न दिया गया है।

	LIC के पत्र द्वारा दर्शाये गया दिनांक 31.3.2012 को अन्तिम शेष	Employees Superannuation Pension Fund Balance Sheet अनुसार दिनांक 31.3.2012 को दर्शाया गया अन्तिम शेष	अन्तर
1	₹205815032.00	₹210300032.00	₹4485000.00

इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 154/2013 दिनांक 02.05.2013 द्वारा वर्ष 2011–12 की Balance Sheet के Current Liabilities & Provisions Schedule-C की मद संख्या 9 के अन्तर्गत दर्शाने बारे सूचना मॉगी गई थी परन्तु इस सम्बन्ध में कोई सन्तोषजनक सूचना अंकेक्षण को उपलब्ध नहीं करवाई गई जिससे ₹4485000.00 राशि की बढ़ौतरी को न्यायोचित ठहराया जा सके। अनियमित रूप से फंड में अनावश्यक बढ़ौतरी का यह मामला उच्च अधिकारियों के ध्यानार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु लाया जाता है साथ ही यह सुझाव दिया जाता है कि इस अधिक दर्शाई गई राशि के सम्बन्ध में स्वतः स्पष्ट विवरण तैयार किया जाए जिसे आगामी अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

10.1 ₹387.00 लाख का ग्रेच्युटी फण्ड बनाकर निजि इन्शुरेंस कम्पनियों की "यूनिट लिक्ड फण्ड" में असुरक्षित निवेशः–

वित्तीय वर्ष 2010–2011 एवं 2011–12 में निम्न वाऊचरों के तहत विभिन्न इन्शुरेन्स कम्पनियों को यूनिट लिंक्ड स्कीम में निवेश हेतु भुगतान किया गया थाः–

क्र0सं0	भुगतान वाऊचर संख्या/दिनांक	निजि इन्शुरेंस कम्पनी जिसमें निवेश किया गया	भुगतान की गई राशि (₹) में
1	2143/01.10.2010	मै0 बजाज अलाईंस लिमिटेड	10,00,0000
2	3761/28.3.2011	मै0 विरला सन लाईफ इन्शुरेंस	10,00,0000
3	3797/30.3.2011	मै0 बजाज अलाईंस लाईफ इन्शुरेंस	60,00,000
4	3798/30.3.2011	मै0 एस0वी0आई0 लाईफ इन्शुरेंस	77,00,000
5	3446/31.3.2012	मै0 बजाज अलाईंस लाईफ इन्शुरेंस	50,00,000
		कुल योग	**₹3,87,00,000**

अंकेक्षण में उपलब्ध करवाये गए अभिलेख में पाया गया कि उपरोक्त भुगतान/निवेश भविष्य में देय ग्रेच्युटी दायित्व के ध्यानार्थ एक अतिरिक्त ग्रेच्युटी फण्ड बनाकर किया गया था।

इस ग्रेच्युटी की राशि को Balance Sheet वर्ष 2011–12 के Shedule-E-Current Assets Loan & Advances के मद संख्या A- 13 पर लेखा शीर्षक Invesrment Policies With Other Institutions Gratutity Scheme के अन्तर्गत दर्शाया गया था। उपरोक्त किए गए भुगतानों में निम्न त्रुटियों पाई गईः–

(1) ग्रेच्युटी फण्ड सृजन से सम्बन्धित सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई। जिसे आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

(2) ₹38700000 की राशि का निवेश सरकारी प्रतिभूतियों/एफ0डी0आर0/सावधि जमा/सरकारी बैंकों में न करके जहॉ से ब्याज आय निश्चित होती है, बाजार पर आधारित यूनिट लिंक्कड स्कीमज में निजि इन्शुरेंस कम्पनियों के माध्यम से करवाया गया था अर्थात शेयर बाजार में वृद्धि के साथ निवेश की गई राशि में संवर्धन होता है तथा शेयर बाजार में गिरने के साथ निवेश की गई पूंजी में गिरावट आती है ऐसे में निवेश की गई राशि में अनियमितता की सम्भावना बनी रहती है। ऐसी स्थिति में बाजार में निवेश की गई राशि/पूंजी में हानि/अवमूल्यन की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखकर असुरक्षित निवेश के सन्दर्भ में औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा निवेश की गई पूंजी की अवमूल्यांकन की स्थिति में, जिम्मेवारी तय की जानी सुनिश्चित की जाए।

(3) निवेश की गई राशि से सम्बन्धित दस्तावेज अंकेक्षण में आवश्यक जांच/पड़ताल/अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः अभिलेख प्रस्तुत न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए आगामी अंकेक्षण में अभिलेख प्रस्ततु किया जाए।

(4) तुलन पत्र के साथ प्रस्तुत किए गए शडयूल "E" के अवलोकन करने पर पाया गया कि उक्त शडयूल के क्रम संख्या 13, में उपरोक्त निवेश की गई ₹38700000 को लेखा शीर्षक Investment Polisied With Other Institutions Gratuty Scheme के अन्तर्गत दर्शाया गया है जो अपने आप में सही स्थिति परिलक्षित नहीं करता अर्थात उक्त शीर्ष से यह पता नहीं चलता कि वास्तव में यह राशि बैंक में जमा है या कहीं और। अतः उपरोक्त निवेशित राशि को Investment Policies With Other Institutions Gratutity Scheme के अन्तर्गत दर्शाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इसे उचित शीर्षानुसार एवं उचित स्पष्टीकरण के साथ दर्शाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

11 विज्ञापनों पर ₹16.91 लाख राशि के अनुचित एवं अनुपयोगी व्यय एवं ₹2.53 लाख राशि का सरकारी खजाने को हानि पहुंचानाः–

रेवन्यू लेजर के पृष्ठ संख्या 55 से 57 तक विज्ञापन शीर्षक के अन्तर्गत ₹2471207/– का भुगतान वर्ष 2011–12 में किया गया था और इस भुगतान में से लगभग ₹1691500/– की राशि डिस्प्ले विज्ञापनों के रूप में भुगतान की गई थी। (जिसका पूर्ण विवरण नीचे दिया गया है) किए गए भुगतानों की विस्तृत जांच–पड़ताल में पाया गया कि अधिकतर भुगतान पत्रिकाओं/सोविनियर इत्यादि में विज्ञापन छपवाने के उद्देश्य अर्थात विस्तृत प्रचार–प्रसार को सामने न रखते हुये किया गया प्रतीत होता है क्योंकि जिन पत्रिकाओं/सोविनियर में विज्ञापन छपवाने के लिए भुगतान किया गया था उनका प्रचार–प्रसार केवल सीमित क्षेत्र तक ही था। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित पत्रिकाओं में विज्ञापन छपवाने की दरें क्या होगी का कोई भी विवरण प्राप्त किये बगैर यथा/मांग/बिल अनुसार भुगतान सम्बन्धी को किया गया जो अपने आप में ही एक गम्भीर अनियमितता है। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश सरकार सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग के पत्र संख्या 15–01/2006–पावती 14263–92 दिनांक 30.8.2006 में यह स्पष्ट किया गया है कि समस्त बोर्ड/कारपोरेशन एवं उपायुक्त कार्यालय को विशेष रूप से अंकित करते हुये दिशा–निर्देश दिये गए है कि डिस्प्ले विज्ञापनों पर 15**%** कमीशन के रूप में कटौती करके सरकार के आय शीर्षक 0220–60–300 में जमा करवाया जाना अपेक्षित था तथा सभी प्रकार के विज्ञापन सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग के माध्यम से छपवाई जानी अपेक्षित थी। निम्न प्रकरणों में न तो डिस्प्ले विज्ञापन सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग के माध्यम से प्रकाशित करवाए गए थे और न ही 15**%** कमीशन के रूप में कटौती करके सरकारी खजाने में जमा करवाए गए थे। डिस्प्ले विज्ञान पर उपरोक्त वर्णित पत्र अनुसार कार्यवाही न करके निम्न विज्ञापनों पर अनुपयोगी एवं अनुचित व्यय किया गया प्रतीत होता हैः–

क्र0 सं0	**भुगतान वा0सं0**	**पत्रिका/सोविनियर या जिस प्रयोजन हेतु भुगतान किया गया**	**भुगतान की गई राशि (₹)**
1	74/10 दिनांक 7.4.2011	श्री रेणुका जी विकास बोर्ड	20000
2	75/10 दिनांक 7.4.2011	पैन्शन वेल्फेयर एसोशिएसन	5000
3	76/11 दिनांक 7.4.2011	संगम	6000
4	77/11 दिनांक 7.7.2011	कामधेनु हितकारी संघ	20000
5	104/15 दिनांक 8.4.2011	ग्राम पंचायत, धर्मपुर (मंडी)	75000

6	115/17 दिनांक 13.4.2011	हि0प्र0 रेस्लिंग ऐसाशिएसन	200000
7	353/52 दिनांक 9.5.2011	ससटेंनबल, शिमला	100000
8	454/63 दिनांक 5.5.2011	श्री नैना देवी जी छिंज	75000
9	770/98 दिनांक 17.6.2011	यूनाईटेड थेटर	7500
10	771/98 दिनांक 17.6.2011	सरदार भगत सिंह मेमो	50000
11	825/103 दिनांक 22.6.2011	प्रैस क्लब, शिमला	25000
12	826/103 दिनांक 22.6.2011	टोरगानाइजिंग सेक्रेटरी, आई0जी0एम0सी0	30000
13	1163/150 दिनांक 7.7.2011	विकाल ज्योतिष	15000
14	1281/165 दिनांक 8.8.2011	स्पोर्ट कल्चर क्लब, सन्धोल (मंडी)	60000
15	1282/165 दिनांक 8.8.2011	शिवरात्री सोविनियर, मंडी	45000
16	1362/175 दिनांक 19.8.2011	छिंज नालवाड़ मेला कमेटी	75000
17	1422/183 दिनांक 26.8.2011	देव गिरि	150000
18	1440/186 दिनांक 27.8.2011	भारतया गौ वंस रक्षा	4800
19	1620/15 दिनांक 16.9.2011	ट्रांसपोर्ट टाईम	100000
20	1718/27 दिनांक 27.9.2011	यूथ स्पोर्टस क्लब	125000
21	2051/72 दिनांक 4.11.2011	रिजनल कोन्फ्रेंसऑफ आइ ए डी वी एन	15000
22	2364/111 दिनांक 8.12.2011	दुर्गा पूजा समिति, बिलासपुर	25000
23	2837/158 दिनांक 19.1.2012	इंडिपेडेस हॉकी	125000
24	3220/17 दिनांक 7.3.2012	राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला,	18000
25	1748/32 दिनांक 1.10.2011	मीडिया वन वेंचर	100000
26	2014/66 दिनांक 1.11.2011	बेन्नट कालमन,	169200
27	3221/17 दिनांक 7.3.2012	दिव्या हिमाचल (डिस्प्ले विज्ञापन)	51000
		कुल योग	**1691500**

अतः उपरोक्त व्यय की गई राशि पूर्णतया अनुपयोगी प्रतीत होती है एवं इन विज्ञापनों पर 15**%** की कटौती दिशा–निर्देशों अनुसार न करके सरकारी खजाने को **₹**253725/– की हानि पहुंचाई गई है। अतः अनियमित रूप से खर्च की गई राशि का मामला उच्चाधिकारियों के विशेष ध्यानार्थ विशेष आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु लाया जाता है।

11.1 राजकीय वरिष्ठ माध्यम पाठशाला की वार्षिक पत्रिका छपवाने के लिए ₹0.18 लाख का अनुचित व्ययः–

हिमुडा मुख्यालय की रोकड़ वही एवं रोकड़ बिल/वाऊचर की जांच/पड़ताल में पाया गया कि भुगतान वाऊचर संख्या 3220 दिनांक 7.3.2012 के तहत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, लोंगनी जिला मंडी कि वार्षिक पत्रिका की 200 प्रतियॉ मै0 नारायण आर्ट प्रिंटर्स, मंडी को ₹90/– प्रति पत्रिका की दर से छपवाने हेतु ₹18000/– का भुगतान किया गया था तथा हिमुडा द्वारा इसे विज्ञापन प्रभार शीर्षक के अन्तर्गत डेबिट किया गया था। पाठशाला द्वारा प्रकाशित पत्रिका का भुगतान हिमुडा द्वारा किया जाना अनुचित ही नहीं अपितु आपत्तिजनक भी प्रतीत होता है। अतः इस सम्बन्ध में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए और इस भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण की ओर से यह सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में इस तरह के भुगतान से परिहार किया जाए।

12 तकनीकी अधिकरियों को Four Tier Pay Scale के अन्तर्गत गलत वेतन निर्धारण करने के कारण ₹5.15 लाख का अधिक भुगतानः–

अधिसूचना संख्या Fin-(PA)B(7)-1/98-11 dated 23.6.2000 द्वारा अधिसूचित नियम C(ii) के अनुसार विभागीय परीक्षा उतीर्ण करने के पश्चात ही किसी तकनीकी अधिकारी को उपरोक्त Four Tier Pay Scale के अन्तर्गत वेतन निर्धारण का लाभ दिया जाना प्रस्तावित किया गया था। हिमुडा के तकनीकी अधिकारियों की सेवा पंजिका की पड़ताल पर पाया गया कि निम्न मामलों में तकनीकी अधिकारियों ने विभागीय परीक्षा उतीर्ण नहीं की इस तथ्य के बावजूद इन अधिकारियों को Four Tier Pay Scale के अन्तर्गत वेतन का निर्धारण का लाभ दिया गया। इस प्रकार गलत वेतन निर्धारण करने के तकनीकी अधिकारियों को ₹515844.00 का अधिक भुगतान किया गया जिसका विवरण परिशिष्ट "ग" पर दिया गया है। इस सम्बन्ध में हिमुडा को अंकेक्षण अधियचाना संख्या 178/2013 दिनांक 31.5.2013 के तहत आवश्यक सूचना मांगी गई थी परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई। अतः हिमाचल प्रदेश सरकार के नियमों की अनदेखी करके गलत वेतन निर्धारण करके ₹515,844.00 के अधिक भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए। इसके अतिरिक्त उपरोक्त अधिसूचित नियम सी (ii) के अनुसार हिमुडा के अन्य तकनीकी अधिकारियों के वेतन का निर्धारण अपने स्तर पर किया जाए। अनुपालना से इस विभाग को शीध्र सूचित किया जाए।

13 ₹1.34 लाख की नियोक्ता शेयर की राशि अनुबन्ध कर्मचारियों के कंट्रीब्यूट्री प्रोविंडेंट फण्ड में प्रावधानों के विपरीत जमा करना:–

हिमुडा के अनुबन्ध कर्मचारिया से सम्बन्धित अभिलेख की जॉच करने पर पाया गया कि 2011–12 के दौरान ₹134607.00 की नियोक्ता शेयर की राशि अनुबन्ध कर्मचारियों के कंट्रीब्यूट्री प्रोविंडेंट फण्ड में जमा करवाई गई थी। अनुबन्ध की शर्त के अनुसार अनुबन्ध कर्मचारियों के लिए कंट्रीब्यूट्री प्रोविंडेंट फण्ड की कोई योजना लागू नहीं है, जबकि हिमुडा द्वारा इन कर्मचारियों के पक्ष में न केवल उक्त योजना को लागू ही किया बल्कि कर्मचारियों के अंशदान के समतुल्य नियोक्ता शेयर की राशि भी फण्ड में जमा की गई। परिणामस्ववरूप वर्ष 2011–12 के दौरान कुल ₹134607.00 की नियोक्ता शेयर की राशि अनुबन्ध कर्मचारियों के खाते में अनुबन्ध के प्रावधानों के विपरीत जमा की गई जिसका विवरण निम्न वर्णित है। अतः अनियमित प्रकार से एम्प्लायर शेयर की सी0पी0एफ0 में जमा राशि बारे अनुबन्ध के प्रावधानों के दृष्टिगत तथ्यों सहित स्पष्टीकरण दिया जाए अन्यथा इस प्रथा पर तुरन्त प्रभाव से रोक लगाई जाए। इसके साथ ही इस प्रकार की समस्त राशि को हिमुडा के खातों में ब्याज सहित वापिस किया जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

क्र0सं0	अनुबन्ध कर्मचारी का नाम व पदनाम सर्व श्री	सी0पी0एफ0 खाता सं0	वर्ष 2011–12 में एम्प्लायर शेयर की जमा राशि (₹)
1	ओम चौहान, विधि सहायक	962	16920
2	अंकुश वर्मा, लिपिक	970	9372
3	भवन सिंह, कनिष्ठ अभियन्ता	981	15510
4	हिमाचल देवी, लिपिक	972	2565
5	दुगला, कनिष्ठ अभियन्ता	973	7050
6	विनोद कुमार, कनिष्ठ अभियन्ता	971	15510
7	राकेश कुमार, कनिष्ठ अभियन्ता	983	2820
8	राजेश कुमार, कनिष्ठ अभियन्ता	984	2820
9	उमेश सिंह, कनिष्ठ अभियन्ता	977	15510
10	विरेन्द्र कुमार, कनिष्ठ अभियन्ता	978	15510
11	अजय सिंह, कनिष्ठ अभियन्ता	979	15510
12	जितेन्दर पूरी, कनिष्ठ अभियन्ता	980	15510
		योग	**₹134607**

14 ₹7.36 लाख की राशि प्रतिनयुक्ति पर गये हिमुडा कर्मचारियों की ग्रेच्युटी अंशदान के रूप में सम्बन्धित विभागों से प्राप्त न करनाः–

प्रतिनियुक्ति पर गये हिमुडा कर्मचारियो से सम्बन्धित अभिलेख की जॉच में पाया गया कि वर्ष 2011–12 के दौरान हिमुडा के विभिन्न कर्मचारी अन्यों विभागों में प्रतिनियुक्ति पर तैनात थे जिनका विवरण निम्न दिया गया है। इन कर्मचारियों की ग्रेच्युटी अंशदान की राशि जोकि वर्ष 2011–12 के दौरान ₹736686.53 बनती थी जिसका विवरण निम्न वर्णित है को सम्बन्धित विभागों से प्राप्त नहीं किया गया था। यहां यह स्पष्ट करना भी आवश्यक है कि उक्त प्राप्य राशि का हिमुडा के दिनांक 31.3.2012 को तैयार तुलन पत्र में सम्पति साईड भी नहीं दर्शाया गया था जो कि दोहरी लेखाकंन प्रणाली के नियमों के विरूद्ध है। अतः उक्त राशि को सम्बन्धित विभागों से तुरंत प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाये तथा साथ ही इस प्रकार की समस्त प्राप्य को तुलन पत्र में सम्पति साईड में दर्शाया जाये। कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाये।

क्र0सं0	**विभाग का नाम जहां कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर गये**		**प्रतिनियुक्ति पर गये कर्मचारी का नाम व पदनाम सर्व श्री**	**वर्ष 2011–12 में विभागों से ग्रेच्युटी अंशदान के प्राप्य राशि (₹)**
1	एच0पी0एस0एस0सी0 हमीरपुर	i	राम प्रसाद, बेलदार	27037.81
		ii	किशोरी लाल, चौकीदार	27238.39
		iii	केवल राम, चौकीदार	57858.27
		iv	कुलदीप चन्द, बेलदार	27204.91
		v	सुरिन्दर कुमार, चपड़ासी	37074.04
2	डी0सी0 ऑफिस शिमला	i	बलदेव राज, बेलदार	27242.83
		ii	किरपा राम, बेलदार	27387.46
		iii	इन्द्र सिंह, बेलदार	21584.03
		iv	जय चन्द, बेलदार	27410.70
		v	सलिग राम, बेलदार	27315.56
3	आबकारी एवं कराधान विभाग शिमला	i	रमेश चन्द, बेलदार	22868.33
		ii	हेत राम, बेलदार	22736.42

iii	लछमी नन्द, बेलदार	39160.27
iv	चंदु राम, बेलदार	22808.70
v	देस राज, बेलदार	8027.21
vi	सुरेश कुमार, बेलदार	31109.90
vii	अनिल कुमार, बेलदार	39428.59
viii	नेगी राम, बेलदार	22809.52
ix	इन्द्र देव नेगी, चपड़ासी	14823.59
	कुल	**736686.53**

15 **(क) ₹52865 / – के टेलीफोन / मोबाईल के फिक्स्ड प्रभार की प्रतिपूर्ति (Reimbursement of Fixed Bimonthly Landline Telephone Residence/Mobile Charges) का अनियमित भुगतानः–**

टेलीफोन प्रभार प्रतिपूर्ति रजिस्टर व सहायक अभिलेख का अवलोकन करने पर पाया गया कि विभिन्न अधिकारियों को फिक्स्ड मासिक लैंडलाईन टेलीफोन आवास / मोबाईल प्रभार की प्रतिपूर्ति का भुगतान किया गया था। यह भुगतान हिमाचल प्रदेश वित्त विभाग (व्यय कंट्रोल–II) के पत्र संख्या फिन–1–(सी)–14–1 / 92, दिनांक 1.8.2007 व 25.8.2010 के अनुसार किया गया था। उक्त पत्र के क्रम संख्या 7 में निहित स्वंर्ग जो कि "Other Officers" से सम्बन्धित है में स्पष्ट किया गया है कि "Other Officers" will include only those who are above the rank of Deputy Director (S) and equivalent as defined in this Department"s instruction dated 24.01.1992 परन्तु निम्नलिखित अधिकारी जिनका रैंक डिप्टी डायरेक्टर से ऊपर या समतुल्य नहीं था को भी उक्त प्रभार का भुगतान किया गया था। परिणाम स्वरूप ₹52865 / – के टेलीफोन / मोबाईल प्रभार की प्रतिपूर्ति का अनियमित प्रकार से भुगतान किया गया। अतःपाई गई अनियमितता बारे तथ्यों सहित स्पष्टीकरण दिया जाये व किये गये भुगतान को न्योचित ठहराया जाये। अन्यथा ₹52865 / –की वसूली उचित माध्यम से की जानी सुनिश्चित की जाये। कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम व पदनाम सर्वश्री	वेतनमान	फिक्स्ड मासिक लैंडलाईन आवास टेलीफोन	फिक्स्ड मासिक मोबाईल प्रभार (₹)	कुल भुगतान टेलीफोन प्रभार प्रतिपूर्ति रजिस्टर अनुसार
1	रमा सूद, प्रशासनिक अधिकारी	10300–34800+जी0पी0 5400	700	400	दिनांक 31.5.12 तक कुल भुगतान=18905
2	कर्म सिंह कुठियाला, प्रशासनिक अधिकारी	10300–34800+जी0पी0 5400		400	दिनांक 31.3.13 तक कुल भुगतान=1600
3	आर0बी0एस0 नेगी, निजि सचिव	10300–34800+जी0पी0 5000	700	400	दिनांक 31.12.12 तक कुल भुगतान=10858
4	मंजीत शर्मा, तहसीलदार	10300–34800+जी0पी0 4400	700	400	दिनांक 31.3.13 तक कुल भुगतान=21502
				कुल	**52865**

(ख) ₹24100/– के आवास किराया भत्ता व प्रतिपूरक भत्ते का अनियमित/अधिक भुगतानः–

अंकेक्षण में निम्न कर्मचारियों के सेवा अभिलेख का अवलोकन करने पर पाया गया कि इन कर्मचारियो ंको ₹24100/–के आवास किराया भत्ता व प्रतिपूरक भत्ते का अनियमित/अधिक भुगतान किया गया था। नियमानुसार यदि कोई कर्मचारी स्टडी लीव/अवकाश पर जाता है तो उसे उस अवकाश के दौरान केवल 120 दिनों तक ही आवास किराया भत्ता व प्रतिपूरक भत्ते का भुगतान किया जाता है उसके उपरान्त कर्मचारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर अपेक्षित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही उक्त भत्तों का भुगतान किया जाता है। परन्तु निम्न प्रकरणें में कर्मचारी स्टडी लीव/अवकाश पर गये थे और उन्हें 120 दिनों के अवकाश के उपरान्त निर्धारित प्रपत्र पर अपेक्षित प्रमाण पत्र लिये बिना उक्त भत्तों का भुगतान कर दिया गया था जबकि हिमुडा के अवकाश स्वीकृति पत्र की शर्त संख्या IV में केवल 120 दिनों तक ही उक्त भत्तों के भुगतान का उल्लेख किया था। परिणामस्वरूप ₹24100/– का अनियमित रूप से अधिक भुगतान किया गया, जिसका विवरण निम्न वर्णित है। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 160/2013, दिनांक 6.5.2013 के तहत अपेक्षित सूचना मांगी गई। परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक इस सम्बन्ध में कोई भी सूचना प्रदान नहीं की गई जो कि अपने आप में एक गम्भीर विषय है। अतः पाई गई अनियमितता बारे तथ्यों सहित स्पष्टीकरण दिया

जाये साथ ही ₹24100/– के अधिक भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा इसकी वसूली उचित माध्यम से की जानी सुनिश्चित की जाए एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्र0सं0	**कर्मचारी का नाम व पदनाम सर्वश्री**	**भत्ते का नाम**	**अवकाश अवधि जब भत्ते का भुगतान किया गया**	**अवकाश अवधि जब तक भत्ते का भुगतान किया जाना था**	**अधिक अवधि तक किया गया भुगतान**	**दर प्रति माह (₹)**	**अधिक भुगतान (₹)**
1	राजन चौहान, वरिष्ठ सहायक	आवास किराया भत्ता	2.8.10 से 31.7.12	2.8.10 से 30.11.10 (120 दिन)	1.12.10 से 28.2.12 (15 माह)	500	7500
						1000	5000
		प्रतिपूरक भत्ता	2.8.10 से 31.7.12	2.8.10 से 30.11.10 (120 दिन)	1.12.10 से 31.7.12 (20 माह)	250	5000
2	कुसुम शर्मा, सहायक प्रोग्रामर	आवास किराया भत्ता	1.11.07 से 31.10.09	1.11.07 से 1.2.08 (120 दिन)	1.3.08 से 30.4.08 (2 माह)	800	1600
		प्रतिपूरक भत्ता	1.11.07 से 31.10.09	1.11.07 से 1.2.08 (120 दिन)	1.3.08 से 31.10.09 (20 माह)	250	5000
							24100

नोटः– i) क्रम संख्या 1 पर वर्णित कर्मचारी को पत्र संख्या हिमुडा 3–1112/2002 एडमन दिनांक 13.8.10 व 24.8.11 के द्वारा क्रमशः अवधि 2.8.10 से 1.8.11 तथा 2.8.11 से 1.8.12 तक स्टडी लीव स्वीकृत की गई थी। स्वीकृति पत्र की शर्त संख्या IV में 120 दिनों तक ही आवास किराया भत्ता व प्रतिपूरक भत्तो के भुगतान का उल्लेख किया गया था।

ii) क्रम संख्या 2 पर वर्णित कर्मचारी को पत्र संख्या हिमुडा 3–949/99 एडमन दिनांक 4.12.07 व 7.3.10 के द्वारा अवधि 1.11.08 से 31.10.09 तक की स्टडी लीव स्वीकृत की गई थी। स्वीकृति पत्र की शर्त संख्या IV में 120 दिनों तक ही आवास किराया भत्ता व प्रतिपूरक भत्ते के भुगतान का उल्लेख किया गया था।

16 चालकों को विशेष भत्ते का ₹32000/– का अनियमित भुगतानः–

अंकेक्षण के दौरान वेतन बिलों व सहायक अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि निम्नलिखित चालकों को विशेष भत्ते का भुगतान हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित दर ₹300/– प्रति माह के स्थान पर ₹700/– प्रति माह की दर से किया गया था। परिणामस्वरूप ₹32000/– की राशि का अनियमित रूप से अधिक भुगतान किया गया, जिसका विवरण निम्न वर्णित है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या 162/2013, दिनांक 7.5.13 व 167/2013, दिनांक 14.5.13 के तहत इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण मांगा गया था, उक्त अधियाचना दिनांक 14.5.2013 के सन्दर्भ में मुख्य लेखा अधिकारी द्वारा यू0ओ0नं0 हिमुडा–लेखा–10/2013 खण्ड–13 दिनांक 17.5.2013 से अंकेक्षण को सूचित किया गया कि सर्वश्री रजिन्दर पाल व जगदीप, चालकों को ₹16800/– के विशेष भत्ते का भुगतान हिमुडा के सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के तहत किया गया है। परन्तु उक्त प्रतिउत्तर/स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नहीं पाया गया । चूंकि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा चालकों को देय विशेष भत्ते की दर ₹300/– प्रति माह निर्धारित की गई है इसलिए अधिक दर से भुगतान करने से पूर्व भी हिमाचल प्रदेश सरकार की स्वीकृति प्राप्त की जानी आपेक्षित थी। परन्तु ऐसी कोई भी स्वीकृति अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई जबकि हिमुडा प्राधिकारी द्वारा अपने स्त्तर पर ही स्वीकृति प्रदान करके चालकों को अधिक दर से भुगतान कर दिया गया। अतः किये गये अधिक भुगतान का तथ्यों सहित पूर्ण स्पष्टीकरण दिया जाये व इसे न्योचित ठहराया जाये अन्यथा अधिक भुगतान की वसूली सम्बन्धित कर्मचारियो ंसे की जाये। साथ ही भविष्य में विशेष भत्ते का भुगतान हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुरूप ही किया जाना सुनिश्चित किया जाये। कृत कार्यवाही से इस विभाग को शीध्र अवगत करवाया जायेः–

क्र0सं0	कर्मचारी का नाम व पदनाम सर्वश्री	अवधि	हि0प्र0 सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार प्रति माह देय विशेष वेतन (₹)	विशेष वेतन का वास्तव में प्रति माह किया गया भुगतान (₹)	अन्तर (₹)	कुल किया गया अधिक भुगतान (₹)
1	सुरेश कुमार, चालक	1.2.09 से 31.3.12 (38 माह)	300	700	400	15200
2	जगदीप, चालक	1.8.09 से 31.3.12	300	700	400	12800

		(32 माह)				
3	राजिन्दर पाल, चालक	1.6.11 से 31.3.12	300	700	400	4000
					कुल	**32000**

17 स्टेशनरी स्टॉक रजिस्टरः–

(क) फोटोस्टेट मशीन (जिराक्स 5834 एलवी) स्टॉक/उपभोग रजिस्टर में 117 फोटोस्टेट रिम्स की प्रविष्टियॉ न करनाः–

स्टेशनरी स्टॉक रजिस्टर की पड़ताल करने पर पाया गया कि वर्ष 2011–12 के दौरान श्री हरी दास, प्रतिलिपि यंत्रचालक को कुल 117 फोटोस्टेट रिम जारी किये गये परन्तु उक्त जारी किये गये रिम्स को फोटोस्टेट मशीन (न0 जिराक्स 5834 एलवी) के स्टॉक/उपभोग रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया था जिसके अभाव में दैनिक आधार पर उपभोग किये गये कागजों का जारी किये गये रिम्स से मिलान नहीं किया जा सका। इस प्रकार फोटोस्टेट मशीन के स्टॉक रजिस्टर में उपयोग हेतु प्राप्त रिम्स की प्रविष्टियॉ न करना अपने आप में एक गम्भीर अनियमितता है, जिस बारे तथ्यों सहित स्थिति स्पष्ट की जाये। अतः उपरोक्त रिम्स का अपेक्षित लेखांकन/प्रविष्टियॉ फोटोस्टेट मशीन के स्टॉक/उपभोग रजिस्टर में किया जाये अन्यथा निम्न विवरणानुसार 117 रिम्स का ₹150/–प्रति रिम की औसत दर से ₹17550/– की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से करके अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जायेः–

क्र0 सं0	रिम जारी करने की दिनांक	पेपर साइज व जारी रिम्स की सं0			कुल रिम्स जो जारी किये गये	औसत दर प्रति रिम	राशि (₹)
		एफएस	ए4	ए3			
1	2.4.11	4	4	–	8	150	1200
2	22.4.11	–	3	5	8	150	1200
3	25.4.11	–	–	3	3	150	450
4	2.5.11	3	–	–	3	150	450
5	10.5.11	3	–	–	3	150	450
6	20.5.11	3	3	–	6	150	900
7	25.5.11	5	3	–	8	150	1200
8	26.5.11	5	–	–	5	150	750

9	4.6.11	3	3	—	6	150	900
10	16.6.11	3	3	—	6	150	900
11	18.7.11	3	3	—	6	150	900
12	25.7.11	3	3	—	6	150	900
13	8.8.11	3	3	—	6	150	900
14	27.8.11	4	4	—	8	150	1200
15	15.9.11	3	3	—	6	150	900
16	29.9.11	3	3	—	6	150	900
17	31.10.11	3	3	—	6	150	900
18	12.11.11	3	3	—	6	150	900
19	21.11.11	2	2	—	4	150	600
20	29.11.11	2	—	—	2	150	300
21	12.12.11	2	3	—	5	150	750
						कुल	**17550**

(ख) स्टेशनरी स्टॉक रजिस्टर से जारी फोटोस्टेट रिम्स का फोटोस्टेट मशीन (नं0 5225/30) के स्टॉक/उपभोग रजिस्टर से मिलान न होनाः—

स्टेशनरी स्टॉक रजिस्टर के अनुसार वर्ष 2011—12 के दौरान श्री देवेन्दर पाल, प्रतिलिपि यंत्रचालक को कुल 142 फोटोस्टेट रिम जारी किये गये दर्शाए गये थे। परन्तु फोटोस्टेट मशीन (नं0 5225/30) के स्टॉक/उपभोग रजिस्टर में कुल 190 रिम्स दर्ज किये गये थे। इस प्रकार फोटोस्टेट मशीन के स्टॉक/उपभोग रजिस्टर में 48 (190—142) रिम्स जिनका विवरण नीचे दिया गया है, अधिक दर्ज किये गये थे। फलस्वरूप स्टेशनरी स्टॉक रजिस्टर से जारी फोटोस्टेट रिम्स का फोटोस्टेट मशीन (नं0 5225/30) के स्टॉक/उपभोग रजिस्टर से मिलान नहीं हो सका। स्टेशनरी स्टॉक रजिस्टर से जारी फोटोस्टेट रिम का फोटोस्टेट मशीन के स्टॉक/उपभोग रजिस्टर रजिस्टर से मिलान न होना अपने आप में एक अनियमितता है जिस बारे तथ्यों सहित स्थिति स्पष्ट करते हुये रिम के जारी तथा प्राप्ति का शीध्र मिलान करना सुनिश्चित किया जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जायेः—

क्र0सं0	स्टेशनरी स्टॉक रजिस्टर अनुसार दिनांक व जारी रिम की सं0				फोटोस्टेट मशीन के स्टॉक/कंजम्शन रजिस्टर अनुसार प्राप्ति दिनांक व दर्ज रिम की सं0			
		ए4	एफएस	कुल		ए4	एफएस	कुल
1	22.4.11	4	3	7	23.4.12	4	3	7
2	23.4.11	4	4	8	4.5.11	4	—	4
3	4.5.11	2	—	2	20.5.11	4	4	8
4	20.5.11	4	4	8	2.6.11	4	3	7
5	4.6.11	4	3	7	22.6.11	2	3	5
6	18.7.11	3	3	6	5.7.11	3	3	6
7	28.7.11	4	2	6	18.7.11	3	3	6
8	12.8.11	3	3	6	1.8.11	4	2	6
9	6.9.11	3	3	6	11.8.11	3	—	3
10	16.9.11	3	2	5	17.8.11	—	3	3
11	29.9.11	2	4	6	25.8.11	4	—	4
12	8.11.11	3	3	6	9.9.11	3	3	6
13	14.11.11	3	3	6	16.9.11	3	2	5
14	16.11.11	4	4	8	23.9.11	4	5	9
15	21.11.11	3	4	7	27.'9.11	2	4	6
16	24.11.11	3	—	3	17.10.11	3	3	6
17	2.1.12	4	3	7	1.11.11	4	1	5
18	3.1.12	3	2	5	16.11.11	4	4	8
19	3.1.12	4	3	7	24.11.11	3	—	3
20	17.1.12	4	4	8	20.12.11	3	2	5
21	28.1.12	1	—	1	3.1.12	4	3	7
22	16.2.12	—	10	10	17.1.12	4	3	7
23	27.2.12	—	3	3	28.1.12	1	—	1
24	2.3.12	4	—	4	3.2.12	3	3	6
25					16.2.12	4	10	14
26					17.2.12	—	8	8

27			21.2.12	—	15	15
28			27.2.12	—	3	3
29			2.3.12	4	—	4
30			15.3.12	—	2	2
31			16.3.12	3	—	3
32			28.3.12	4	4	8
	कुल	**142**			**कुल**	**190**

कुल अन्तर 48 रिम (190–42)

(ग) मै0 सतलुज डॉक्यूमैन्ट कं0, सालिग्राम भवन, खलीनी, शिमला–2 से बिल संख्या 773, दिनांक 22.9.11 के तहत ₹4408/– का "तोशिबा टोनर (इ–स्टडी क्यू–160)" व "मस्टर रोल 800 मॉडल" का क्रय किया गया। इन मदों को स्टेशनरी रजिस्टर (खंड–VI, पार्ट–II) के पृष्ठ संख्या 16 के क्रम संख्या 31 व 31 ए पर दर्ज किया गया था। अवलोकन करने पर पाया गया कि इन मदों को न तो किसी कर्मचारी को उपयोग हेतु जारी किया गया था तथा न ही अंत शेष में दर्शाया गया था। इसके अतिरिक्त उक्त क्रय से सम्बन्धित कोई भी बिल/वाऊचर जांच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः पाई गई त्रुटियों बारे तथ्यों सहित स्थिति स्पष्ट की जाये व अपेक्षित बिल/वाऊचर अंकेक्षण में प्रस्तुत करते हुए उक्त मद को अंत शेष में लिया जाना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा मदों के क्रय मूल्य ₹4408/– की वसूली सम्बन्धित से करके अनुपालना से अंकेक्षण को दिखाई जाये।

(घ) स्टेशनरी स्टॉक रजिस्टर (खंड–VI, पार्ट–II) के पृष्ठ संख्या 17 पर दर्ज मदों के शेषो को स्टेशनरी स्टॉक रजिस्टर (खंड–VII, पार्ट–II) के पृष्ठ संख्या 1 पर कैरी ओवर किया गया था। अवलोकन करने पर पाया गया कि खंड–VI, में क्रम संख्या 5 पर दर्ज मद "स्टॉक रजिस्टर" जिसका शेष 6 था को खंड–VII, में क्रम संख्या 5 पर मद "स्टॉक रजिस्टर" के कॉलम में कैरी ओवर नहीं किया गया था। इसके पश्चात दिनांक 18.2.2012 को 4 स्टॉक रजिस्टरों का क्रय किया गया। परिणामस्वरूप दिनांक 31.3.2012 को मद "स्टॉक रजिस्टर" का अंतशेष 10 होना चाहिये था। परन्तु अंतशेष में 4 स्टॉक रजिस्टर ही लिये गये थे। अतः अंतशेष में 6 स्टॉक रजिस्टर कम लेने बारे तथ्यों सहित स्थिति स्पष्ट की जाये व कम लिये गये स्टॉक रजिस्टरों को अंतशेष में अब लिया जाना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा इनके क्रय मूल्य की वसूली सम्बन्धित से करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाये।

18 ₹4644/– के अदेय चिकित्सा प्रतिपूर्ति दोव का भुगतानः'–

माह 03/2012 के चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों के रोकड़ बिल/वाऊचर के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि रोकड़ बिल/वाऊचर संख्या 3408 एवं 3409 दिनांक 29.3.2012 में निम्न कर्मचारियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों में कुछ अदेय दवाईयों का भुगतान भी किया गया जो नागरिक सेवा (चिकित्सा नियम) 1944 के अन्तर्गत देय प्रतिपूर्ति योग्य नहीं था। अतः अदेय दवाईयों का अधिक भुगतान की शीध्र वसूली करके प्राधिकरण खाते में जमा किया जाए तथा अनुपालना आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाई जाए।

क्र0 सं0	कर्मचारी का नाम/पदनाम	अदेय दवाईयों का विवरण	राशि	टिप्पणी
1	श्री रत्न लाल, फेरोप्रिंटर	डी0सी0जेल/D.C. GEL	59.'00	चिकित्सा नियम अनुसार Gel देय नहीं है।
2	श्रीमती लक्ष्मी देवी, सेवादार	Knee cap	135.00	चिकित्सा नियम 1944 में दी गई list of artificial appliances में नहीं है।
3	श्री सुरिन्दर कुमार, ड्राईवर	Betadine qarales	98.80	चिकित्सा नियम अनुसार Gargle देय नहीं है।
4	श्री मोहिन्दर सिंह	Systaflam gel	51.50	चिकित्सा नियम अनुसार Gel देय नहीं है।
5	श्री अनिल शारदा, CHD	D.F.O. Gel	138.00	चिकित्सा नियम अनुसार Gel देय नहीं है।
		D.F.O. Gel	138.00	चिकित्सा नियम अनुसार Gel देय नहीं है।
6	श्रीमती संतोष चौहान	Isokit rest	190.00	चिकित्सा नियम 1944 में दी गई list of artificial appliances में नहीं है।
7	श्रीमती सत्या चौहान व0 सहा0	Heam-up	73.63	Heam-up एक टॉनिक है।
8	श्री एम0एल0 मेहता, व0 सहा0	Clin, E-vera, saliwas facewash	170+92+120+128 =510	Clin, E-vera, saliwas facewash benjoc gel चिकित्सा नियम अनुसार gel/lotion facewash देय नहीं है।
9	श्रीमती सुमित्रा	आरोग्यवृद्धि वटी	70.00	चिकित्सा नियम अनुसार देय

				नहीं है।
10	श्रीमती सुमित्रा	दवाईयॉ	219.00	चिकित्सा नियम की पर्ची व बिल चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों के साथ नहीं लगे है।
11	श्री बी0के0 सिंह	Xgain shampoo	310.00	चिकित्सा नियम अनुसार देय नहीं है।
		AFK Lotion	99.00	चिकित्सा नियम अनुसार देय नहीं है।
12	श्री भीम बहादुर	दवाईयों	2552.00	चिकित्सा नियम की पर्ची व बिल चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों के साथ नहीं लगे है।
		कुल योग	**4643.93 or say Rs 4644**	

चयनित माह में पाई गई त्रुटियों को ध्यान में रखते हुए ये सुझाव दिया जाता है कि वर्ष के शेष महीनों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों की जॉच पड़ताल विभागीय स्त्तर पर की जानी सुनिश्चित की जाए।

19 बैंक समाधान विवरणः—

₹100124356.94 का बैंक समाधान न करना व ₹1577943.00 का उपयुक्त समाधान न करनाः—

वर्ष 2011—2012 के दौरान हिमुडा मुख्यालय द्वारा 19 विभिन्न बैंकों में चालू/बचत खातों का परिचालन किया गया था। दिनांक 31.3.2012 को रोकड़ वही अनुसार शेष व बैंक अनुसार शेष में पाये गए अंतर के सम्बन्ध में केवल 12 बैंक की ही बैंक समाधान विवरणियां अंकेक्षण में प्रस्तुत की गई, जिनकी विस्तृत जांच—पड़ताल में पाया गया कि ₹100124356.94 राशि का बैंक समाधान व ₹1577943.00 का उपयुक्त समाधान नहीं किया गया था, ऐंसी स्थिति में किसी भी प्रकार की गम्भीर अनियमितता/दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता, जिसका पूर्ण विवरण आपत्तियॉ सहित निम्न दिया गया है जिस सम्बन्ध में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए।

1) स्टेट बैंक ऑफ इंडियाः–

दिनांक 31.3.2012 को रोकड़वही अनुसार शेष व बैंक अनुसार शेष निम्न थाः–

बैंक का नाम	**रोकड़वही अनुसार शेष**	**बैंक अनुसार शेष**	**अन्तर**
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	1391086.83	1202982.71	188104.12

31.3.2012 को रोकड़वही अनुसार शेष व बैंक अनुसार शेष में पाये गए अंतर के सम्बन्ध में अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत की गई बैंक समाधान विवरणी जो परिशिष्ट (घ) पर संलग्न की गई है, की विस्तृत जांच में निम्न आपत्तियां पाई गईः'–

(क) ₹9712/– के कालातीत हो चुके चेकों का समाधान न करनाः–

₹9712/–की राशि जो वर्ष 1999 से 2003 के दौरान जारी किए गए चैकों से सम्बन्धित थी तथा जो वास्तव में कालातीत हो चुके थे का अंकेक्षण अवधि तक कोई भी समाधान नहीं किया गया था। इस सन्दर्भ में आवश्यक समाधान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) ₹56055.00 अनुचित रूप से डेबिट/नाम किया जानाः–

बैंक द्वारा निम्नलिखित राशियॉ अनुचित रूप से अधिक डेबिट की गई थी जिस सम्बन्ध में मामला क्रेडिट/जमा लेने हेतु या समाधान हेतु बैंक से उठाया जाएः–

क्रमांक	**दिनांक**	**बैंक द्वारा अनुचित डेबिट/नाम डाली गई राशि**	**बैंक द्वारा क्रेडिट/जमा की गई राशि**	**टिप्पणी**
1	23.9.2003	420605		
2	24.9.2003	292218		
3	27.9.2003	–	662823.00	उक्त राशि क्रमांक 1 व 2 के विरूद्ध बैंक द्वारा जमा की गई थी
4	16.1.2004	2000		
5	17.5.2003	4055		

(ग) ₹261581/—का बैंक द्वारा क्रेडिट न दिया जानाः—

निम्नलिखित चैक/ड्राफ्ट बैंक में जमा करवाए गए परन्तु बैंक द्वारा इनके एवज में क्रेडिट नहीं दिया गया है जिसका विस्तृत विवरण निम्न दिया गया हैः—

क्रमांक	**चैक सं0/दिनाक व बैंक का नाम**	**चैक को बैंक में जमा करने की तिथि**	**राशि**
1	448840 दिनांक 1.12.2004, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	4.12.2004	14'94.00
2	349286 दिनांक 4.12.2004 आई0सी0आई0सी0आई0	4.12.2004	2283.00
3	ड्राफ्ट नं0 264724 दिनांक 03.07.2004	13.3.2004	257804.00

(घ) ₹593345/—का बैंक द्वारा क्रेडिट न दिया जानाः—

निम्नलिखित राशियॉ प्रस्तुत की गई बैंक समाधान विवरणी में मात्र डेबिट (—) की गई है अर्थात ये राशियॉ बैंक द्वारा खाते के क्रेडिट/जमा में कम दर्शाई गई है तथा बैंक समाधान विवरणी में इस सन्दर्भ में पूर्ण विवरण नहीं दिया गया है न ही इन राशियों का कोई समाधान किया गया है। अतः बैंक द्वारा क्रेडिट न दिये जाने के सम्बन्ध में मामला बैंक से उठाया जाए व वस्तुस्थिति से इस विभाग को अवगत करवाया जाए। जिसका पूर्ण विवरण निम्नलिखित हैः—

क्रमांक	**विवरण जैसा कि बैंक समाधान विवरणी में दिया गया था**	**राशि**
1	कोई विवरण नहीं दिया गया है।	18123
2	कोई विवरण नहीं दिया गया है।	298382
3	बैंक द्वारा क्रेडिट नहीं दिया गया हैं	113940

(ङ) ₹65574/—बैंक क्रेडिट राशियों का समाधान न करनाः—

निम्नलिखित राशियॉ बैंक में तो जमा/क्रेडिट थी परन्तु रोकड़वही में ये राशियॉ जमा नहीं पाई गई न ही इन राशियों का विस्तृत विवरण बैंक समाधान विवरणी में दिया गया था जोकि अपने—आप में ही एक गम्भीर आपत्ति है। यह मामला बैंक से उठाया जाए व वस्तुस्थिति से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

क्रमांक	राशि का संक्षिप्त विवरण	राशि
1	वर्ष 2003–2004 में बैंक द्वारा दिया गया क्रेडिट (पूर्ण विवरण नहीं दिया गया है)	63174
2	बैंक द्वारा दिनांक 7.8.2007 दिया गया क्रेडिट	2400

(च) ₹496165/–का बैंक में जमा राशियों को अनुचित रूप से unclassified (अनक्लासिफाईड) शीर्ष में समाधान करना:–

निम्नलिखित राशियॉ जो बैंक में तो क्रेडिट/जमा पाई गई परन्तु रोकड़ वही में जमा नहीं की गई थी अब इन राशियों का समाधान करके रोकड़ वही में unclassified Receipts (अनक्लासिफाईड/अवर्गीकृत आय शीर्ष के अन्तर्गत जमा किया गया है। चर्चा के दौरान यह बताया गया कि निम्न राशियॉ सम्भवतः विभिन्न आंबटियों द्वारा सीधे बैंक में जमा करवाई गई थी जिस कारण यह राशियॉ रोकड़ वही के बैंक काल्म में जमा नहीं दर्शाई जा सकी। अतः इस सन्दर्भ में यह सुझाव दिया जाता है कि अनुचित रूप से (अनक्लासिफाईड) unclassified शीर्ष में समाधान की गई राशियों सम्बन्धी मामला बैंक से उठाया जाए कि किन आंबटियों द्वारा यह राशियॉ वास्तव में जमा करवाई गई थी ताकि उनके खाते भी व्यवस्थित किए जा सके।

2) पंजाब एंड सिंध बैंक:–

दिनांक 31.3.2012 को रोकड़वही अनुसार शेष व बैंक अनुसार शेष निम्न था:–

बैंक का नाम	रोकड़ वही अनुसार शेष (₹)	बैंक अनुसार शेष (₹)	अन्तर (₹)
पंजाब एंड सिंध बैंक	285547.54	425139.54	139592.00

31.3.2012 को रोकड़ वही अनुसार शेष व बैंक अनुसार शेष में पाये गए अंतर के सम्बन्ध में अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत की गई बैंक समाधान विवरणी जो परिशिष्ट (घ) परसंलग्न की गई है, की विस्तृत जांच में निम्न आपत्तियॉ पाई गई:–

(क) ₹88281.00 T.D.S. Adjustment A/C शीर्ष के अन्तर्गत रोकड़ वही में समाधान करके प्राप्ति दर्शाना:–

वर्ष 2007–08 के दौरान वाउचर संख्या 5426 दिनांक 31.3.2008 के तहत ₹88281/– T.D.S. A/C के अन्तर्गत रोकड़ वही में डेबिट किये गए थे परन्तु अब बैंक समाधान विवरणी में T.D.S. एडजस्टमेंट शीर्ष के अन्तर्गत पुनः से क्रेडिट किया गया था तथा इसका समाधान

वाऊचर संख्या 2346 दिनांक 26.3.2013 को रोकड़वही में किया गया जबकि यह टी0डी0एस0 (T.D.S.) ब्याज से काटा गया था तथा इसका समायोजन भी ब्याज (interest receipt A/C) को क्रेडिट करके लेखों में समायोजन किया जाना अपेक्षित था। अतः गलत शीर्ष (head) मे समाधान किए जाने सम्बन्धी वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए व उचित समाधान करके इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

2) आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक (खाता संख्या 168)

दिनांक 31.3.2012 को रोकड़वही अनुसार शेष व बैंक अनुसार शेष निम्न थाः–

बैंक का नाम	**रोकड़ वही अनुसार शेष (₹)**	**बैंक अनुसार शेष (₹)**	**अन्तर (₹)**
आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक	365639.82	394084.17	28444.35

31.3.2012 को रोकड़ वही अनुसार शेष व बैंक अनुसार शेष में पाये गए अंतर के सम्बन्ध में अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत की गई बैंक समाधान विवरणी जो परिशिष्ट (घ) पर संलग्न की गई है, की विस्तृत जांच में निम्न आपत्तियॉ पाई गईः–

(क) ₹2062/–बैंक क्रेडिट राशियों का समाधान न करनाः–

निम्नलिखित राशियों बैंक समाधान विवरणी में जमा की गई थी अर्थात ये राशियॉ बैंक में तो जमा/क्रेडिट थी परन्तु रोकड़ वही में ये राशियॉ जमा नहीं पाई गई और न ही इन राशियों का विस्तृत विवरण बैंक समाधान विवरणी में नहीं दिया गया था जोकि अपने–आप में ही एक गम्भीर आपत्ति है। अतः बैंक द्वारा अधिक क्रेडिट के सम्बन्ध में मामला बैंक से उठाया जाए व आवश्यक समाधान लेखों में किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

क्रमांक	**दिनांक**	**बैंक द्वारा क्रेडिट की गई राशि**	**टिप्पणी**
1	16.7.2003	150	
2	9.7.2003	565	
3	12.7.2003	947	
	कुल योग	**2062**	

(ख) ₹6872/–अनुचित रूप से डेबिट किया जानाः–

बैंक द्वारा वर्ष 2003–04 में ₹6872/– अनुचित रूप से डेबिट की गई थी जिस सम्बन्ध में मामला क्रेडिट/जमा लेने हेतु या समाधान हेतु बैंक से उठाया जाए व की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ग) दिनांक 20.4.2010 को बैंक द्वारा ₹977/–की राशि डेबिट की गई थी जबकि उक्त राशि रोकड़ वही में डेबिट नहीं पाई गई जिस सन्दर्भ में मामला बैंक से उठाया जाए व आवश्यक समाधान लेखों में किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(घ) ₹31721/– T.D.S. Adjustment A/C शीर्ष के अन्तर्गत रोकड़ वही में समाधान करके प्राप्ति दर्शानाः–

दिनांक 31.3.2008, 31.3.2009 व 31.3.2010 को निम्न विवरण अनुसार ₹31721/– की राशि T.D.S. A/C के अन्तर्गत रोकड़ वही में डेबिट/भुगतान दर्शाये गये थे।

क्रमांक	**वा0सं0/दिनांक**	**राशि**	**टिप्पणी**
1	5426/31.3.2008	16988	
2	शून्य/31.3.2009	12679	
3	4096/31.3.2010	2054	

परन्तु अब बैंक समाधान विवरणी में T.D.S. एडजस्टमेंट शीर्ष के अन्तर्गत पुनः से क्रेडिट/जमा किया गया था तथा इसका समाधान वाऊचर संख्या 2348 दिनांक 26.3.2013 को रोकड़ वही में किया गया था जबकि यह टी0डी0एस0 (T.D.S.) ब्याज से काटा गया था तथा इसका समायोजन भी ब्याज (interest receipt A/C) को क्रेडिट करके लेखों में समायोजन किया जाना अपेक्षित था। अतः गलत शीर्ष/head मे समाधान किए जाने सम्बन्धी वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए व उचित समाधान करके इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

4) आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक (खाता संख्या 1255)

दिनांक 31.3.2012 को रोकड़वही अनुसार शेष व बैंक अनुसार शेष निम्न थाः–

बैंक का नाम	रोकड़ वही अनुसार शेष (₹)	बैंक अनुसार शेष (₹)	अन्तर (₹)
आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक	7360134	12669398.00	5309264.00

दिनांक 31.3.2012 को रोकड़ वही शेष व बैंक शेष में पाये गए अंतर के सम्बन्ध में अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत की गई बैंक समाधान विवरणी जो परिशिष्ट (घ) पर संलग्न की गई है, की विस्तृत जांच में निम्न आपत्तियॉ पाई गईः–

(क) ₹309364/–बैकं में जमा राशियों को अनुचित रूप से unclassified (अनक्लासिफाईड) शीर्ष में समाधान करनाः–

निम्नलिखित राशियॉ जो बैंक में तो क्रेडिट/जमा पाई गई परन्तु रोकड़ वही में जमा की गई थी अब इन राशियों का समाधान करके रोकड़वही में unclassified Receipts (अनक्लासिफाईड/अवर्गीकृत आय शीर्ष के अन्तर्गत जमा किया गया है। चर्चा के दौरान यह बताया गया कि निम्न राशियॉ सम्भवतः विभिन्न आंबटियों द्वारा सीधे बैंक में जमा करवाई गई थी जिस कारण यह राशियॉ रोकड़ वही के बैंक काल्म में जमा नहीं दर्शाई जा सकी। अतः इस सन्दर्भ में यह सुझाव दिया जाता है कि अनुचित रूप से (अनक्लासिफाईड) unclassified शीर्ष में समाधान की गई राशियों सम्बन्धी मामला बैंक से उठाया जाए कि किन आंबटियों द्वारा यह राशियॉ वास्तव में जमा करवाई गई थी ताकि उनके खाते भी व्यवस्थित किए जा सके।

क्रम	दिनांक जिस को बैंक द्वारा क्रेडिट दिया गया	राशि
1	09.2.2012	11076
2	28.2.2012	298288
	योग	**309364**

5)एच0डी0एफ0सी0:–

दिनांक 31.3.2012 को रोकड़वही अनुसार शेष व बैंक अनुसार शेष निम्न था:–

बैंक का नाम	**रोकड़ वही अनुसार शेष (₹)**	**बैंक अनुसार शेष (₹)**	**अन्तर (₹)**
एच0डी0एफ0सी0	5263495.79	4510161.21	753334.58

31.3.2012 को रोकड़ वही शेष व बैंक शेष में पाये गए अंतर के सम्बन्ध में अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत की गई बैंक समाधान विवरणी जो परिशिष्ट (घ) पर संलग्न की गई है, की विस्तृत जांच में निम्न आपत्तियॉ पाई गई:–

(क) ₹133100/–के जमा करवाए चैक/ड्राफ्ट का बैंक द्वारा क्रेडिट नहीं दिया जाना:–

₹133100/– चैक/ड्राफ्ट बैंक में जमा करवाए गए परन्तु बैंक द्वारा इनके एवज में क्रेडिट नहीं दिया गया है जिसका विस्तृत विवरण निम्न दिया गया है:–

क्रमांक	**चैक संख्या/दिनांक व बैंक का नाम**	**चैक को बैंक में जमा करने कि तिथि**	**राशि**
1	6182 दिनांक 8.10.2006	8.10.2006	133100

अतः बैंक द्वारा जमा करवाए गए ड्राफ्ट की राशि ₹133100.00 का क्रेडिट न देने सम्बन्धी मामला बैंक प्राधिकारी से उठाया जाए व राशि ब्याज सहित बैंक खाते में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) बैंक द्वारा वर्ष 2009–10 में ₹128900/–राशि अनुचित रूप से डेबिट किया जाना:–

बैंक द्वारा वर्ष 2009–10 ₹128900/–की राशि अनुचित रूप से डेबिट/नाम की गई थी जिसका विवरण निम्नलिखित है:–

क्रम	**दिनांक**	**राशि जो बैंक द्वारा डेबिट की गई है**
1	7.8.2009	86400
2	9.10.2009	42500

अतः इस सम्बन्ध में मामला क्रेडिट/जमा लेने हेतु या समाधान हेतु बैक से उठाया जाए व की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ग) ₹550000/–का बैंक समाधान न किया जानाः–

₹550000/–राशियॉ बैक खाते में दिनांक 23.9.2010 को जमा/क्रेडिट थी परन्तु रोकड़वही में ये राशियॉ जमा नहीं दर्शाई गई न ही इन राशियों का विस्तृत विवरण बैंक समाधान विवरणी में दिया गया था जोकि अपने–आप में ही एक गम्भीर आपत्ति है। अतः बैंक द्वारा अधिक क्रेडिट के सम्बन्ध में मामला बैंक से उठाया जाए व आवश्यक समाधान लेखों में किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

6) केनरा बैंक

दिनांक 31.3.2012 को रोकड़वही अनुसार शेष व बैंक अनुसार शेष निम्न थाः–

बैंक का नाम	रोकड़ वही अनुसार शेष (₹)	बैंक अनुसार शेष (₹)	अन्तर (₹)
केनरा बैंक	1137902	1106169	31733

31.3.2012 को रोकड़ वही अनुसार शेष व बैंक शेष में पाये गए अंतर के सम्बन्ध में अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत की गई बैंक समाधान विवरणी जो परिशिष्ट (घ) पर संलग्न की गई है, की विस्तृत जांच में निम्न आपत्तियॉ पाई गईः–

(क) ₹7915/–के कालातीत हो चुके जारी चैकों का दिनांक 31.3.2012 तक समाधान नहीं किया जानाः–

₹7915/–के चैक जो वर्ष 203–2004 में जारी किए थे तथा जों वास्तव में कालातीत हो चुके थे का अंकेक्षण अवधि 31.3.2012 तक कोई भी समाधान नहीं किया गया था। इस सन्दर्भ में आवश्यक समाधान लेखों में किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) ₹30000/–का बैंक समाधान न किया जानाः–

बैंक समाधान विवरणी ₹30000/–की राशि बैंक द्वारा डेबिट की गई थी तथा रोकड़ वही में इस प्रकार का कोई भी प्रविष्टि भुगतान कालम में नहीं पाई गई थी न ही इस राशि का कोई समाधान किया गया था। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि ₹30000/– का क्रेडिट लेने हेतु मामला बैंक से उठाया जाए या इस राशि का आवश्यक समाधान लेखों में किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ग) ₹15116/–का गलत तरीके से समाधान करनाः–

निम्नलिखित राशियॉ का समाधान वाउचर संख्या 2402 दिनांक 30.3.2013 द्वारा रोकड़वही में भुगतान दर्शाकर किया गया था परिशोधन की गई राशियों का विस्तृत जांच–पड़ताल में पाया गया कि ₹7151/– व ₹7270/–की राशियॉ क्रमशः दिनांक 14.7.2007 व 14.1.2008 को बैंक द्वारा टी0डी0एस0 (TDS) के रूप में डेबिट की गई थी तथा HIMUDA (हिमुडा) द्वारा भी अब उपरोक्त वाउचर के तहत इसे डेबिट दर्शाया गया है। उपरोक्त काटे गए TDS के सम्बन्ध में कोई भी प्रमाणित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। इसी प्रकार ₹695/–की राशि भी बैंक द्वारा दिनांक 11.10.2007 को डेबिट की गई थी तथा इस राशि को भी उपरोक्त वाऊचर के तहत बिना विस्तृत विवरण दिये समाधान किया गया है जोकि किसी भी प्रकार से उचित प्रतीत नहीं होता, इस सम्बन्ध में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए।

(घ) ₹34000 T.D.S. Adjustment A/C शीर्ष के अन्तर्गत रोकड़ वही में समाधान करके प्राप्ति दर्शानाः–

बैंक समाधान विवरणी में T.D.S. एडजस्टमेंट शीर्ष के अन्तर्गत ₹34000/– क्रेडिट/जमा किया गया था तथा इसका समाधान वाऊचर संख्या 3373 दिनांक 3.3.2013 को रोकड़वही में किया गया जबकि यह टी0डी0एस0 (T.D.S.) ब्याज से काटा गया था तथा इसका समायोजन भी ब्याज (interest receipt A/C) को क्रेडिट करके लेखों में समायोजन किया जाना अपेक्षित था। अतः गलत शीर्ष head मे ंसमाधान किए जाने सम्बन्धी वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए व उचित समाधान करके इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ङ) ₹46730/–की राशि का समाधान न करनाः–

वाउचर संख्या 4083 दिनांक 31.3.22013 व 4096 दिनांक 31.3.2013 के तहत क्रमशः ₹28724/– व ₹18006/–रोकड़वही में टी0डी0एस0/TDS के रूप में भुगतान/डेबिट दर्शाई गई थी जबकि बैंक द्वारा इस प्रकार की कोई भी राशि डेबिट नहीं की गई है। अतः इन राशियो का आवश्यक समाधान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(च) ₹223984/–की राशि का समाधान न करनाः–

दिनांक 31.3.2008 को ₹223984/–की राशि रोकड़ वही में जमा की गई थी जबकि बैंक द्वारा इस राशि का क्रेडिट नहीं दिया गया था न ही इस राशि का समाधान लेखों में किया गया था जिस सम्बन्ध में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए व लेखों में आवश्यक समाधान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(छ) ₹3570/–का सम्भावित गलत तरीके से समाधान करनाः–

₹3570/– की राशि वाऊचर संख्या 3432 दिनांक 28.2.11 को रोकड़ वही में जमा की गई थी परन्तु बैक समाधान में इस राशि को वाऊचर संख्या 149 दिनांक 30.3.2013 के तहत डेबिट किया गया था किन कारणों से इस राशि को डेबिट किया गया इस सम्बन्ध में कोई भी अभिलेख में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः डेबिट की गई राशि के सन्दर्भ में पूर्ण छानबीन करके वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए।

7) हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड (हि0प्र0 सचिवालय शाखा)

दिनांक 31.3.2012 को रोकड़वही अनुसार शेष व बैंक अनुसार शेष निम्न थाः–

बैंक का नाम	रोकड़ वही अनुसार शेष (₹)	बैंक अनुसार शेष (₹)	अन्तर (₹)
हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड (हि0प्र0 सचिवालय शाखा)	1667071	1610511	56560

दिनांक 31.3.2012 को रोकड़ वही शेष व बैंक शेष में पाये गए अंतर के सम्बन्ध में अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत की गई बैंक समाधान विवरणी जो परिशिष्ट (घ) पर संलग्न की गई है, की विस्तृत जांच में निम्न आपत्तियॉ पाई गईः–

(क) ₹95000/–की राशि का समाधान न करनाः–

वाउचर संख्या 3215 दिनांक 8.2.2011 के तहत 8842X5000=44210000.00 राशि के ड्राफ्ट/चैक डिमांड सर्वे प्राप्ति क अन्तर्गत बैंक में जमा करवाए गए थे परन्तु बैंक द्वारा ₹44115000.00 की ही राशि क्रेडिट की गई थी इस प्रकार ₹95000/–की राशि बैंक में कम जमा पाई गई। इस सम्बन्ध में चर्चा के दौरान बताया गया कि ₹95000/–राशि के ड्राफ्ट/चैक बैंक द्वारा dishonor किए गए। अतः dishonor किए गए ड्राफ्ट/चैक का प्रमाण पत्र बैंक से प्राप्त करके खातों में आवश्यक समाधान किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(ख) ₹23385/–राशि का समाधान न करनाः–

₹23385/–की राशियॉ बैंक में तो जमा/क्रेडिट थी परन्तु रोकड़ वही में ये राशियॉ जमा नहीं पाई गई न ही इन राशियों का विस्तृत विवरण बैंक समाधान विवरणी में नहीं दिया गया था जोकि अपने–आप में ही एक गम्भीर आपत्ति है। अतः द्वारा अधिक क्रेडिट के सम्बन्ध में

मामला बैंक से उठाया जाए व आवश्यक समाधान लेखों में किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

8) हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड (छोटा शिमला शाखा)

दिनांक 31.3.2012 को रोकड़वही अनुसार शेष व बैंक अनुसार शेष निम्न था:–

बैंक का नाम	रोकड़ वही अनुसार शेष (₹)	बैंक अनुसार शेष (₹)	अन्तर (₹)
हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड (छोटा शिमला शाखा)	1501872	1486812	15060

31.3.2012 को रोकड़ वही शेष व बैंक शेष में पाये गए अंतर के सम्बन्ध में अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत की गई बैंक समाधान विवरणी जो परिशिष्ट (घ) पर संलग्न की गई है।

9) स्टेट बैंक ऑफ पटियाला (ईस्ट)

दिनांक 31.3.2012 को रोकड़वही अनुसार शेष व बैंक अनुसार शेष निम्न था:–

बैंक का नाम	रोकड़ वही अनुसार शेष (₹)	बैंक अनुसार शेष (₹)	अन्तर (₹)
स्टेट बैक ऑफ पटियाला (ईस्ट)	3116936.31	3288555.31	171619.00

दिनांक 31.3.2012 को रोकड़ वही शेष व बैंक शेष में पाये गए अंतर के सम्बन्ध में अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत की गई बैंक समाधान विवरणी जो परिशिष्ट (घ) पर संलग्न की गई है, की विस्तृत जांच में निम्न आपत्तियॉ पाई गई:–

(क) ₹614842/–बैकं में जमा राशियों को अनुचित रूप से unclassified (अनक्लासिफाईड) शीर्ष में समाधान करना:–

निम्नलिखित राशियॉ जो बैंक में तो क्रेडिट/जमा पाई गई परन्तु रोकड़ वही में जमा नहीं की गई थी अब इन राशियों का समाधान करके रोकड़वही में unclassified Receipts (अनक्लासिफाईड/अवर्गीकृत आय शीर्ष के अन्तर्गत जमा किया गया है। चर्चा के दौरान यह बताया गया कि निम्न राशियॉ सम्भवतः विभिन्न आंबटियों द्वारा सीधे बैंक में जमा करवाई गई थी जिस कारण यह राशियॉ रोकड़ वही के बैंक काल्म में जमा नहीं दर्शाई जा सकी। अतः इस सन्दर्भ में यह सुझाव दिया जाता है कि अनुचित रूप से unclassified (अनक्लासिफाईड) शीर्ष में

समाधान की गई राशियों सम्बन्धी मामला बैंक से उठाया जाए कि किन आंबटियों द्वारा यह राशियॉ वास्तव में जमा करवाई गई थी ताकि उनके खाते भी व्यवस्थित किए जा सके।

क्रम	दिनांक	राशि
1	31.12.2010	298288
2	31.12.2010	298288
3	31.12.2010	18266
	कुल योग	**614842**

(ख) ₹49500/–राशि का समाधान न करनाः–

₹49500/–की राशियॉ बैंक में तो जमा/क्रेडिट थी परन्तु रोकड़ वही में जमा नहीं थी। विस्तृत जांच–पड़ताल में पाया गया कि बैंक में दिनांक 16.1.2011 को ₹549500/–कि राशि जमा थी परन्तु रोकड़वही में ₹500000/– कि राशि ही क्रेडिट/जमा पाई गई जोकि अपने–आप में ही एक गम्भीर आपत्ति है। अतः बैंक द्वारा अधिक क्रेडिट ₹495000/–के सम्बन्ध में मामला बैंक से उठाया जाए व आवश्यक समाधान लेखों में किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ग) ₹1500000/–समाधान की गई राशि से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करनाः–

वाऊचर संख्या 2405 दिनांक 30.3.2013 के तहत ₹1500000/–की राशि को डेबिट करके लेखों का आवश्यक समाधान किया गया था बैंक समाधान विवरणी की विस्तृत जांच–पड़ताल करने पर पाया गया कि दिनांक 16.12.2010 व 28.01.2011 को क्रमशः ₹500000 व ₹1000000/–की राशियां गलत क्रेडिट कि गई थी परन्तु इस सम्बन्ध में कोई भी अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया कि क्या वास्तव में ही ₹1500000/– राशियॉ गलती से अधिक जमा दर्शाई गई थी। अतः ये सुझाव दिया जाता है कि रोकड़ वही में अधिक जमा दर्शाई गई राशियों के आवश्यक सत्यापन हेतु आगामी अंकेक्षण में अभिलेख प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

10) पंजाब नैशनल बैंक (main)

दिनांक 31.3.2012 को रोकड़वही अनुसार शेष व बैंक अनुसार शेष निम्न थाः–

बैंक का नाम	रोकड़ वही अनुसार शेष (₹)	बैंक अनुसार शेष (₹)	अन्तर (₹)
पंजाब नैशनल बैंक (main)	7455648.74	3482685.74	3972963.00

दिनांक 31.3.2012 को रोकड़ वही शेष व बैंक शेष में पाये गए अंतर के सम्बन्ध में अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत की गई बैंक समाधान विवरणी जो परिशिष्ट (घ) पर संलग्न की गई है, की विस्तृत जांच में निम्न आपत्तियॉ पाई गईः–

(क) दिनांक 31.3.2012 को रोकड़ वही अनुसार शेष व बैंक अनुसार शेष में पाये गये अंतर ₹3972963/– की मात्र बैंक समाधान विवरणी ही बनाई गई है तथा लेखों में कोई भी समाधान नहीं किया गया है। अतः लेखों में आवश्यक समाधान किया जाना सुनिश्चित किया जाए व कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण में अवगत करवाया जाये।

11) आईडीबीआई (IDBI)

दिनांक 31.3.2012 को रोकड़वही अनुसार शेष व बैंक अनुसार शेष निम्न थाः–

बैंक का नाम	रोकड़ वही अनुसार शेष (₹)	बैंक अनुसार शेष (₹)	अन्तर (₹)
आईडीबीआई (IDBI)	1164798	1448202	283404

31.3.2012 को रोकड़ वही शेष व बैंक शेष में पाये गए अंतर के सम्बन्ध में अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत की गई बैंक समाधान विवरणी जो परिशिष्ट (घ) पर संलग्न की गई है, की विस्तृत जांच में निम्न आपत्तियॉ पाई गईः–

(क) ₹5000/– का समाधान न करनाः–

₹5000/–की राशि बैंक समाधान विवरण में डेबिट (–) की गई थी अर्थात ये रोकड़ वही में प्राप्ति/क्रेडिट है परन्तु बैंक में केडिट नहीं पाई गई है। अतः इस राशि का समाशोधन बैंक से क्रेडिट लेने हेतु किया जाए या वास्तविक स्थिति अनुसार समाधान किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

12) Indusind बैंक

दिनांक 31.3.2012 को रोकड़वही अनुसार शेष व बैंक अनुसार शेष निम्न था:—

बैंक का नाम	रोकड़ वही अनुसार शेष (₹)	बैंक अनुसार शेष (₹)	अन्तर (₹)
Indusind बैंक	3779519	2464852.75	1314666.25

दिनांक 31.3.2012 को रोकड़ वही शेष व बैंक शेष में पाये गए अंतर के सम्बन्ध में अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत की गई बैंक समाधान विवरणी जो परिशिष्ट (घ) पर संलग्न की गई है, की विस्तृत जांच में निम्न आपत्तियॉ पाई गई:—

(क) ₹58636.15/— का समाधान न करना:—

बैंक समाधान विवरणी अनुसार **₹**58636.15 की राशि विभिन्न तिथियों को बैंक द्वारा डेबिट की गई थी परन्तु रोकड़ वही में इस प्रकार की कोई भी प्रविष्टि भुगतान कालम में नही पाई गई थी जिसका विवरण निम्नलिखित है:—

क्रमांक	दिनांक	राशि जो बैंक द्वारा डेबिट की गई थी	टिप्पणी
1	16.4.2010	50000	बैंक द्वारा चैक संख्या 570119 द्वारा बैंक खाते को डेबिट किया गया।
2	23.12.2010	2352	बैंक द्वारा चैक संख्या 352716 द्वारा बैंक खाते को डेबिट किया गया।
3	23.12.2010	55.15	चैक वापसी प्रभार
4	13.1.2011	55.00	चैक वापसी प्रभार
5	2.11.2010	6174	बैंक द्वारा चैक संख्या 352639 द्वारा बैंक खाते को डेबिट किया गया।
	कुल योग	**58636.15**	

उपरोक्त राशियों का कोई भी समाधान लेखों में नहीं किया गया था। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि ₹58636.15 का क्रेडिट लेने हेतु मामला बैंक से उठाया जाए या इस राशि का आवश्यक समाधान लेखों में किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ख) ₹20000/– का समाधान न करनाः–

₹20000/–राशि बैंक समाधान विवरणी में डेबिट (–) की गई थी अर्थात ये रोकड़ वही में प्राप्ति/क्रेडिट है परन्तु बैंक में क्रेडिट नहीं पाई गई है। अतः इस राशि का समाशोधन बैंक से क्रेडिट लेने हेतु किया जाए या वास्तविक स्थिति अनुसार समाधान किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ग) ₹10000/– का समाधान न करनाः–

₹10000/–राशि बैंक समाधान विवरणी में जमा की गई थी अर्थात ये राशियॉ दिनांक 3.5.2011 को बैंक द्वारा तो जमा/क्रेडिट दर्शाई थी परन्तु रोकड़वही में ये राशियॉ जमा नहीं पाई गई जोकि अपने–आप में ही एक गम्भीर आपत्ति है। अतः बैंक द्वारा क्रेडिट दर्शाई गई राशियों के सम्बन्ध में मामला बैंक से उठाया जाए व आवश्यक समाधान लेखों में किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाएं।

(घ) ₹220.60/– का समाधान न करनाः–

दिनांक 27.4.11 व 10.8.2011 को क्रमशः ₹110.30 व ₹110.30 की राशियॉ बैंक द्वारा डेबिट की गई थी परन्तु रोकड़ वही में इस प्रकार का कोई भी भुगतान नहीं दर्शाया गया था। अतः बैंक द्वारा डेबिट की गई कुल ₹220.60 का समाधान किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

13) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, न्यू शिमला

दिनांक 31.3.2012 को रोकड़वही अनुसार शेष व बैंक अनुसार शेष निम्न थाः–

बैंक का नाम	रोकड़ वही अनुसार शेष (₹)	बैंक अनुसार शेष (₹)	अन्तर (₹)
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, न्यू शिमला	287257	321711	34454

दिनांक 31.3.2012 को रोकड़ वही शेष व बैंक शेष में पाये गए अंतर ₹34454/—के सम्बन्ध में अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत की गई बैंक समाधान विवरणी प्रस्तुत नहीं की गई जिसे आगामी अंकेक्षण के समय प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

14) यूको बैंक, निगम बिहार

दिनांक 31.3.2012 को रोकड़वही अनुसार शेष व बैंक अनुसार शेष निम्न था:—

बैंक का नाम	**रोकड़ वही अनुसार शेष (₹)**	**बैंक अनुसार शेष (₹)**	**अन्तर (₹)**
यूको बैंक, निगम बिहार	24700815.01	58716110.90	34015295.89

31.3.2012 को रोकड़ वही शेष व बैंक शेष में पाये गए अंतर ₹34015295.89/—के सम्बन्ध में अंकेक्षण हेतु बैंक समाधान विवरणी प्रस्तुत नहीं की जिसे आगामी अंकेक्षण के समय प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

15) एक्सीस बैंक (axsis Bank) कुसुम्पटी

दिनांक 31.3.2012 को रोकड़वही अनुसार शेष व बैंक अनुसार शेष निम्न था:—

बैंक का नाम	**रोकड़ वही अनुसार शेष (₹)**	**बैंक अनुसार शेष (₹)**	**अन्तर (₹)**
एक्सीस बैंक (axsis Bank) कुसुम्पटी	35056943.45	71401883.66	36344940.21

दिनांक 31.3.2012 को रोकड़ वही शेष व बैंक शेष में पाये गए अंतर ₹36344940.21के सम्बन्ध में अंकेक्षण हेतु बैंक समाधान विवरणी प्रस्तुत नहीं की जिसे आगामी अंकेक्षण के समय प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

16) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, दी मॉल, शिमला

दिनांक 31.3.2012 को रोकड़वही अनुसार शेष व बैंक अनुसार शेष निम्न थाः–

बैंक का नाम	रोकड़ वही अनुसार शेष (₹)	बैंक अनुसार शेष (₹)	अन्तर (₹)
यूनियिन बैंक ऑफ इंडिया, दी मॉल, शिमला	33792834.92	10390179.83	23402655.09

31.3.2012 को रोकड़ वही शेष व बैंक शेष में पाये गए अंतर ₹23402655.09 के सम्बन्ध में अंकेक्षण हेतु बैंक समाधान विवरणी प्रस्तुत नहीं की जिसे आगामी अंकेक्षण के समय प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

17) स्टेट बैक ऑफ पटियाला (मुख्य शाखा)

दिनांक 31.3.2012 को रोकड़वही अनुसार शेष व बैंक अनुसार शेष निम्न थाः–

बैंक का नाम	रोकड़ वही अनुसार शेष (₹)	बैंक अनुसार शेष (₹)	अन्तर (₹)
स्टेट बैक ऑफ पटियाला (मुख्य शाखा)	29286.95	40106.95	10820.00

31.3.2012 को रोकड़ वही शेष व बैंक शेष में पाये गए अंतर ₹10820.00 के सम्बन्ध में अंकेक्षण हेतु बैंक समाधान विवरणी प्रस्तुत नहीं की जिसे आगामी अंकेक्षण के समय प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

18) सैन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, दी मॉल, शिमला

दिनांक 31.3.2012 को रोकड़वही अनुसार शेष व बैंक अनुसार शेष निम्न थाः–

बैंक का नाम	रोकड़ वही अनुसार शेष (₹)	बैंक अनुसार शेष (₹)	अन्तर (₹)
सैन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, दी मॉल, शिमला	8065.14	बैंक अनुसार शेष का बैंक द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया	

दिनांक 31.3.2012 को रोकड़ वही शेष व बैंक शेष का प्रमाण पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः रोकड़ वही अनुसार शेष व बैंक अनुसार शेष का 31.3.2012 को सत्यापन नहीं किया जा सका, न ही यह पता लगाया जा सका कि रोकड़ वही अनुसार शेष व बैंक अनुसार शेष में वास्तविक रूप में कितना अंतर है जो अपने–आप में ही एक गम्भीर अनियमितता है। अतः बैंक समाधान विवरणी आगामी अंकेक्षण के समय प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए।

19) पंजाब नैशनल बैंक, कुसुम्पटी, शिमला

दिनांक 31.3.2012 को रोकड़वही अनुसार शेष व बैंक अनुसार शेष निम्न थाः–

बैंक का नाम	**रोकड़ वही अनुसार शेष (₹)**	**बैंक अनुसार शेष (₹)**	**अन्तर (₹)**
पंजाब नैशनल बैंक, कुसुम्पटी, शिमला	21571.84	बैंक अनुसार शेष का बैंक द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया	

1.3.2012 को रोकड़ वही शेष व बैंक शेष का प्रमाण पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः रोकड़ वही अनुसार शेष व बैंक अनुसार शेष का 31.3.2012 को सत्यापन नहीं किया जा सका, न ही यह पता लगाया जा सका कि रोकड़ वही अनुसार शेष व बैंक अनुसार शेष में वास्तविक रूप में कितना अंतर है जो अपने–आप में ही एक गम्भीर अनियमितता है। अतः बैंक समाधान विवरणी आगामी अंकेक्षण के समय प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए।

20 तुलन पत्र (बैलेन्स शीट)

वित्तीय वर्ष 2011–12 का तुलन पत्र (बैलेन्स शीट) हिमुडा अधिकारियों द्वारा पत्र संख्या HIMUDA/Accts-319/BSS-2012 dated 22.3.2013 से निर्देशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को प्रेषित किया गया था और उसके उपरान्त वर्ष 2011–12 के तुलन पत्र की उसके साथ शैडयूलस के साथ जॉच की गई। जॉच के दौरान पाया गया कि तुलन पत्र (बैलेन्स शीट) की कुछ मदों, जिनका विवरण निम्न दिया गया है, के सम्बन्ध में स्वतः स्पष्ट विवरण, साथ संलग्न शैडयूल में नहीं दिये गए थे।

Head of Account	Schedule	Item No.	Amount	Dr/Cr	Remarks
Repayment of excess on account of valuation of Assets & Liabilities (NVP)	A	3 (vi)	(-)14,00,00,000	Dr.	स्वतः स्पष्ट विवरण नहीं दिया गया है।

(Paid to HP Govt.)					
Provisions for liabilities anticipated work of various colonies	C	4,5,6,7,11,12,13,15,16,17,20,24	7,88,58,319.57	Cr.	स्वतः स्पष्ट विवरण नहीं दिया गया है।
Work in Progress as per % completion Method	E	2	98,61,80,293.14	Dr.	स्वतः स्पष्ट विवरण नहीं दिया गया है।
Works completed in hand	E	A(4)	4,48,08,972.53	Dr.	स्वतः स्पष्ट विवरण नहीं दिया गया है।
Material for works in stores	E	A(5)	1,97,64,144.73	Dr.	स्वतः स्पष्ट विवरण नहीं दिया गया है।
Material for works in stores (NVP)	E	A(6)	39,35,946.68	Dr.	स्वतः स्पष्ट विवरण नहीं दिया गया है।
Sundry Debotrs.	E	A(9)	85,04,270.87	Dr.	स्वतः स्पष्ट विवरण नहीं दिया गया है।
Cash in Transit	E	A(10) (ii)	1,00,36,926.00	Dr.	स्वतः स्पष्ट विवरण नहीं दिया गया है।
Gratuity Fund A/C	E	A(413)	3,87,00,000.00	Dr.	स्वतः स्पष्ट विवरण नहीं दिया गया है।
Cost of scale Receviable	E	B (11)	4,02,38,317.78	Dr.	स्वतः स्पष्ट विवरण नहीं दिया गया है।
Rectitication	E	B (32)	3,16,20,709.74	Dr.	स्वतः स्पष्ट विवरण नहीं दिया गया है।
					स्वतः स्पष्ट विवरण नहीं दिया गया है।

20.1 शैडयूल "A" Reserve and surplus

(i) लेखा शीर्षक Reserve & surplus (NVP) और "Grant-in-Aid (NVP) की तुलना में लेखा शीर्षक "Repayment of excess on account of valuation of Assets & Liabilities (NVP) में ₹49000000.00 अधिक दर्शाया जानाः—

शैडयूल "A" में लेखा शीर्षक Reserve & surplus (NVP) और "Grant-in-Aid (NVP) (मद संख्या 1 (ii) और 3 (V) के अन्तर्गत कुल ₹9.10 करोड़ (44469084.29+46559000=91028084)

दर्शाये गए थे। जबकि लेखा शीर्षक "Repayment of excess on account of valuation of Assets & Liabilities (NVP)" के अन्तर्गत राशि ₹14.00 करोड़ दर्शाये गए थे। इस प्रकार कुल 4.90 करोड (14.00 करोड–9.10 करोड=4.90 करोड) की राशि का इस लेखा शीर्षक के अन्तर्गत अधिक भुगतान की गई प्रतीत होता है। इस अधिक भुगतान को नगर विकास प्राधिकरण के लेखों के समायोजन के आधार पर न्यायोचित ठहराया जाए। उपरोक्त के अतिरिक्त उचित सत्यापन के उपरान्त Reserve & surplus (NVP) और "Grant-in-Aid (NVP) के अन्तर्गत दर्शाई गई कुल राशि ₹91028084.00 को भी न्यायोचित ठहराया जाए।

(ii) ₹36616027.17 की राशि को स्वतः स्पष्ट विवरण के बिना Reserve and surplus Schedule के अन्तर्गत दर्शाया जानाः–

हिमुडा के वार्षिक लेखों में Reserve and surplus Schedule-A के कम संख्या 2 पर "Interest Redemption Account" लेखा शीर्षक के अन्तर्गत ₹36616025.17 की राशि वर्ष 2002–03 से लगातार दर्शाई जा रही है। यह लेखा शीर्षक हाऊसिंग कलोनियों के लिए बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं से लिए गए Loan/Bank Overdraft के interest हेतु बनाया गया था, जो कि वर्ष पहले पूर्ण हो चुकी है। साथ ही Loan/Bank Overdraft का Interest वार्षिक आधार पर पूर्ण हो चुकी हाऊसिंग कलौनियों को चार्ज किया जा चुका है। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 127/2013 दिनांक 8.4.2013 के तहत आवश्यक सूचना मॉगी गई थी लेकिन अंकेक्षण समाप्ति तक कोई सूचना इस सम्बन्ध में हिमुडा अधिकारियों/कर्मचारियों से प्राप्त नहीं हुई। इस प्रकार इस लेखा शीर्षक के अन्तर्गत दर्शाई गई राशि को बैलेन्स शीट के दायित्व पक्ष की और दर्शाने का कोई औचित्य नहीं है। जब तक की वह वास्तव में अस्तित्व में न हो। अतः वास्तविक स्थिति की जॉच के उपरान्त अंकेक्षण को वास्तविक तथ्यों से अवगत करवाया जाए और इस दायित्व का समायोजन मान्य लेखांकन सिद्धान्तों के अनुसार किया जाए।

(iii) "Provisions of allocation of interest" की राशि ₹2478048.85 को अनियमित रूप से लेखा शीर्षक "Grant utilized for development/and acquisition" (Schedule"A" item No. 3 (iii) के अन्तर्गत समायोजित किया जानाः–

₹14650000.00 की राशि पिछले कई वर्षों से लेखा शीर्षक "Grant utilized for development/and acquisition" (Schedule"A" item No. 3 (iii) के अन्तर्गत बैलेन्स शीट में दर्शाई जा रही है। इस राशि में ₹2478048.85 (454010+349038+1675000=2478048.85) की राशि भी शामिल है जो की लेखा शीर्षक हाऊसिंग कलौनी मंडी, धर्मशाला, हमीरपुर और परवाणू के "Allocation of interest" से सम्बन्धित है। हाऊसिंग कालौनी से सम्बन्धित ब्याज उसी

हाऊसिंग कालौनी के कुल खेर्चे से चार्ज किया जाना चाहिए था। अतः वास्तविक स्थिति की जॉच के उपरान्त अन्तिम लेखों में आवश्यक सुधार किया जाए।

20.2 शैडयूल "B" Secured Loans:-

(i) ₹178409712.00 HUDCO ऋण की वापसी को भुगतान मद के अनुसार न दर्शाया जानाः–

शैडयूल "बी" की तुलन पत्र में Secured Loans Secured Loans की राशि ₹87600000.00 दर्शाई गई है, पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान यह राशि ₹329641712.00 थी जिसमें से ₹246193712.00 हुड़को ऋण से सम्बन्धित थी। ₹246193712.00 की राशि में से ₹12.24 करोड़ की राशि हिमुडा की अपनी स्कीम से और ₹12.38 करोड़ की राशि गवर्नमेन्ट ऋण स्कीम से सम्बन्धित थी। हुडको ऋण से सम्बन्धित ऋण स्टेटमेन्ट की जॉच ये यह पता चलता है कि ₹17.84 करोड़ की ऋण राशि की वापसी का भुगतान हिमुडा द्वारा हुडकों को इस वित्तीय वर्ष के दौरान किया गया परन्तु इस ऋण स्टेटमेन्ट ये यह पता नहीं चलता की कितनी राशि का भुगतान हिमुडा द्वारा अपनी स्कीम हेतु और कितना भुगतान गवर्नमेन्ट ऋण स्कीम की वापसी हेतु किया गया था। अतः ऋण वापसी का स्कीम अनुसार विवरण न रखने के कारण स्पष्ट किया जाए और साथ ही तथ्योंनुसार लेखों में आवश्यक सुधार किया जाए।

20.3 शैडयूल "C" (Current Liabilities and Provisions):-

(i) ₹1.50 करोड की राशि का समायोजन न करना व बिना स्वतः स्पष्ट विवरण दिये विभिन्न लेखा शीर्षक के अन्तर्गत दर्शाया जानाः–

तुलन पत्र के लेखा शीर्षक Current Liabilities And Provisions शैडयूल "C" एवं खाता वही की पड़ताल करने पर पाया गया कि ₹1.50 करोड़ की राशि को बिना स्वतः स्पष्ट विवरण के निम्न लेखा शीर्षक के अन्तर्गत दर्शाया गया था। जॉच करने पर यह भी पाया गया कि कई राशियॉ विभिन्न लेखा शीर्षकों के अन्तर्गत वर्ष 2005–06 से पहले के वर्षों से समायोजन के लिए लम्बित है। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 129/2013 दिनांक 9.4.2013, 131/2013 दिनांक 11.4.2013, 132/2013 दिनांक 11.4.2013, द्वारा सूचना मॉगी गई थी परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक इस सम्बन्ध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई। अतः स्वतः स्पष्ट अभिलेख तैयार न किए जाने एवं दीर्धकाल से इस राशि को समायोजित न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। उपरोक्त आपत्ति आवश्यक कार्रवाई किए जाने हेतु उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ लाई जाती है।

क्र0सं0	लेखा शीर्षक	राशि (₹) लाखें में	मद सं0	टिप्पणी
1	Material Purchase A/C	1.51	4	वर्ष 2005–06 से पहले के वर्षो से इस लेखा शीर्षक के अन्तर्गत लगातार दर्शाया जा रहा है।
2	Sundry Creditors	2.37	5	वर्ष 2005–06 से पहले के वर्षो से इस लेखा शीर्षक के अन्तर्गत लगातार दर्शाया जा रहा है।
3	Provision for arbitration/works	6.38	11	वर्ष 2005–06 से पहले के वर्षो से इस लेखा शीर्षक के अन्तर्गत लगातार दर्शाया जा रहा है।
4	Stock Adjustment Account	2.56	12	वर्ष 2005–06 से पहले के वर्षो से इस लेखा शीर्षक के अन्तर्गत लगातार दर्शाया जा रहा है।
5	I&PH Department for WSS	17.82	13	वर्ष 2005–06 से पहले के वर्षो से इस लेखा शीर्षक के अन्तर्गत लगातार दर्शाया जा रहा है।
6	Deposit Works (NVP)	46.06	14	वर्ष 2005–06 से पहले के वर्षो से इस लेखा शीर्षक के अन्तर्गत लगातार दर्शाया जा रहा है।
7	"Contractors Deposit" (NVP)	57.58	15	वर्ष 2005–06 से पहले के वर्षो से इस लेखा शीर्षक के अन्तर्गत लगातार दर्शाया जा रहा है।
8	Mise Recoveries	1.53	16	वर्ष 2005–06 से पहले के वर्षो से इस लेखा शीर्षक

				के अन्तर्गत लगातार दर्शाया जा रहा है।
9	R& D Adjustment	3.69	17	वर्ष 2005–06 से पहले के वर्षो से इस लेखा शीर्षक के अन्तर्गत लगातार दर्शाया जा रहा है।
10	Development fund under Apartment Act	10.08	23	वर्ष 2005–06 से पहले के वर्षो से इस लेखा शीर्षक के अन्तर्गत लगातार दर्शाया जा रहा है।
	कुल योग	**149.58**		

(ii) (–) ₹253026152.28 की राशि को "Initial Deposit/Earnest Money" लेखा शीर्षक के अन्तर्गत गलत तरीके से समायोजित किया जाना और "Initial Deposit/Earnest Money & Security" लेखा शीर्षक का स्वतः स्पष्ट विवरण तैयार न करनाः–

Shedule "C" में मदसंख्या 1 और 3 जोकि लेखा शीर्षक "Initial Deposit/Earnest Money" और "Security Account" के अन्तर्गत कुल दायित्व ₹517009704.10(450608444. 00+66401260.19) की राशि दर्शाई गई थी। जॉच करने पर पाया गया कि यह राशि "Initial Deposit/Earnest Money" लेखे से सम्बन्धित थी और इस राशि में (–) 253026152.28 की राशि भी समायोजित की गई थी। "Initial Deposit/Earnest Money" लेखे से सम्बन्धित यह घटाई गई (माईन्स) राशि हिमुडा की कई कालौनियों से सम्बन्धित थी, परन्तु इस सम्बन्ध में स्वतः स्पष्ट विवरण नहीं बनाया गया था, जिसके अभाव में इस राशि की पूर्ण जॉच नहीं की जा सकी। अतः इस सम्बन्ध में "Initial Deposit/Earnest Money" लेखें से सम्बन्धित प्रत्येक राशि का स्वतः स्पष्ट विवरण शीध्र तैयार करके हिमुडा अपने स्तर पर उचित सत्यापन करके उचित कदम उठाए जाए।

(iii)₹1098871268.77 के अग्रिम को विभिन्न विभागों से प्राप्त करने के उपरान्त डिपोजिट वर्क्स को न किया जानाः–

तुलन पत्र 2011–12 के Shedule "C" Current Liabilities & Provisions की मद संख्या 18 Advance Payment against Deposit Works की पड़ताल करने पर पाया गया कि ₹1098871268.77 की राशि हिमुडा द्वारा विभिन्न विभागों से विभिन्न deposit works हेतु दिनांक

31.3.2012 तक अग्रिम के रूप में प्राप्त की गई थी जिसका पूर्ण विवरण तुलन पत्र के शैडयुल संख्या XXIII पर दिया गया था। इस शैडयूल संख्या XXIII के निरीक्षण से यह भी पता चलता है कि हिमुडा द्वारा विभिन्न विभागों से डिपोजिट वर्कस हेतु अग्रिम तो प्राप्त किया गया था परन्तु दिनांक 31.3.2012 तक इस सम्बन्ध में कोई निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया था। यदि इन अग्रिमों के सम्बन्ध में समय पर निर्माण कार्य आरम्भ किया जाता तो बदले में हिमुडा को इन विभागों से 17**%** की दर से विभागीय शुल्क/प्रभार प्राप्त होता। इस प्रकार हिमुडा को विभागीय शुल्क/प्रभार की परोक्ष के रूप में हानि हुई। अतः यह मामला हिमुडा उच्च अधिकारियों के ध्यानार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु विशेष रूप से लाया जाता है।

(iv) "TDS on Interest on FDR Adjustable A/C" लेखा शीर्षक के अन्तर्गत टी0डी0एस0 ₹5530235.00 का गलत ढ़ंग स`लेखाकंन करनाः–

Shedule "C" की मद संख्या 20 पर लेखा शीर्षक "TDS on Interest on FDR Adjustable A/C" के अन्तर्गत टी0डी0एस0 ₹5530235.00 दर्शाई गई थी जोकि एफ0डी0आर0 के अर्जित ब्याज पर सम्बन्धित बैंकों द्वारा टी0डी0एस0 की कटौती से सम्बन्धित थी। इस राशि को दायित्व पक्ष में दर्शाने की जगह संपत्ति पक्ष की ओर दर्शाया जाना चाहिए था या इस राशि को सम्पत्ति पक्ष Shedule "E" मद संख्या B (6) कपर दर्शाए गए लेखा शीर्षक "Interest Receivable on FDRs " के अन्तर्गत दर्शाई गई ब्याज की राशि से समायोजित किया जाना चाहिए था। अतः इस अशुद्धि को न्यायोचित ठहराया जाए और अभिलेख की अपने स्तर पर जॉच के उपरान्त लेखों में आवश्यक सुधार किए जाए। इसके साथ ही अर्जित ब्याज की पूर्ण सूची अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं की गई है जिसे आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(v) लेखा शीर्षक FDR Adjustable Account" के अन्तर्गत ₹10000000.00 और लेखा शीर्षक "Interest on FDR Adjustable Account" के अन्तर्गत ₹1230650.00 का गलत ढ़ंग से लेखाकंन किए जाने बारेः–

समायोजन वाउचर संख्या 140 दिनांक 31.3.2012 ₹10000000.00

समायोजन वाउचर संख्या 141 दिनांक 31.3.2012 ₹1230650.00

(क) उपरोक्त समायोजन वाउचर की पड़ताल करने पर पाया गया कि HIMUDA Authorities द्वारा FDR No. 13151 & 13157 जोकि ₹5000000.00 प्रति FDR थी को दिनांक 02. 09.2011 को भुनाया गया और प्राप्त राशि ₹10000000.00 को रोकड़ वाऊचर संख्या 1493 A के अन्तर्गत रोकड़ वही के पृष्ठ संख्या 193 पर बैंक खाता संख्या 098102000000409 (UCO बैंक निगम बिहार शाखा) में जमा की प्रविष्टि दर्ज की गई। दिनांक 31.3.2012 को दौबारा फिर

प्राप्त राशि ₹10000000.00 को रोकड़ वाऊचर संख्या 3440 & 3441 के अन्तर्गत रोकड़ वही के पृष्ठ संख्या 48 पर बैंक खाता संख्या 098102000000409 (यूको बैंक निगम बिहार शाखा) में जमा की प्रविष्टि दर्ज की गई। इस प्रकार ₹10000000.00 राशि की प्रविष्टि रोकड़ वही में दो बार प्रविष्टि की गई एक बार रोकड़ वही के पृष्ठ संख्या 193 पर और दूसरी बार पृष्ठ संख्या 48 पर जिसे ठीक करने के लिए समायोजन वाउचर संख्या 140 दिनांक 31.3.2012 के अन्तर्गत राशि ₹10000000.00 की प्रविष्टि की गई, परन्तु इस समायोजित वाउचर में "FDR Acccount" को ₹10000000.00 से डेबिट करके "FDR Adjustable Account" को क्रेडिट किया गया। इस प्रकार बैंक खाता संख्या 098102000000409 (यूको बैंक निगम बिहार शाखा) जिसको दो बार ₹10000000.00 से डेबिट किया गया था। (एक बार दिनांक 2.9.2011 को और दूसरी बार दिनांक 31.3.2012 को) को सुधार किए बिना ही छोड़ दिया गया और एक नए लेखा शीर्षक "FDR Adjustable Account" को अनावश्यक रूप से क्रेडिट किया गया था, जबकि इस लेखा शीर्षक के बदले बैंक खाता संख्या 098102000000409 (यूको बैंक निगम बिहार शाखा) को क्रेडिट किया जाना था। अतः समायोजन वाउचर में बैंक खाता संख्या 098102000000409 (यूको बैंक निगम बिहार शाखा) को क्रेडिट करने की जगह "FDR Adjustable Account" को अनावश्यक रूप से क्रेडिट करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए। साथ ही बैंक अकाऊंट संख्या 098102000000409 (यूको बैंक निगम बिहार शाखा) को सही करने का प्रयास किया जाए। अनुपालना से इस विभाग को सूचित किया जाए।

(ख) उपरोक्त एफ0डी0आर0 पर अर्जित और प्राप्त ब्याज की राशि ₹1230650.00 को रोकड़ वाउचर संख्या 1493 A के अन्तर्गत रोकड़ वही के पृष्ठ संख्या 193 पर बैंक खाता संख्या 098102000000409 (यूको बैंक निगम बिहार शाखा) कमें जमा की प्रविष्टि दर्ज की गई। दिनांक 31.3.2012 को दोबारा फिर प्राप्त ब्याज की राशि ₹1230650.00 को रोकड़ वाउचर संख्या 3440 & 3441 के अन्तर्गत रोकड़ वही के पृष्ठ संख्या 48 पर बैंक खाता संख्या 098102000000409 (यूको बैंक निगम बिहार शाखा) में जमा की प्रविष्टि दर्ज की गई। इस प्रकार प्राप्त ब्याज की ₹1230650.00 राशि की प्रविष्टि रोकड़ वही में दो बार प्रविष्टि की गई एक बार रोकड . वही के पृष्ठ संख्या 193 पर और दूसरी बार पृष्ठ संख्या 48 पर जिसे ठीक करने के लिए समायोजन वाऊचर संख्या 141 दिनांक 31.3.2012 के अन्तर्गत राशि ₹1230650.00 की प्रविष्टि की गई परन्तु इस समायोजित वाउचर में Interest on FDR Account को ₹1230650.00 से डेबिट करके "Interest on FDR Adjustable Account" को ₹1230650.00 से क्रेडिट किया गया। इस प्रकार बैंक खाता संख्या 098102000000409 (यूको बैंक निगम बिहार शाखा) जिसको दो बार ₹1230650.00 स डेबिट किया गया था (एक बार दिनांक 2.9.2011 को और दूसरी बार दिनांक

31.3.2012 को) को सुधार किए बिना छोड़ दिया गया और एक नए लेखा शीर्षक "Interest on FDR Adjustable Account" को अनावश्यक रूप से क्रेडिट किया गया था, जबकि इस लेखा शीर्षक के बदले बैंक खाता संख्या 098102000000409 (यूको बैंक निगम बिहार शाखा) को क्रेडिट किया जाना था। अतः समायोजन वाउचर में बैंक खाता संख्या 098102000000409 (यूको बैंक निगम बिहार शाखा) को क्रेडिट करने की जगह "Interest on FDR Adjustable Account" को अनावश्यक रूप से क्रेडिट करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए। साथ ही बैंक अकाऊंट संख्या 098102000000409 (यूको बैंक निगम बिहार शाखा) को सही करने का प्रयास किया जाए। अनुपालना से इस विभाग को सूचित किया जाए।

20.4 शैडयूल "E" "Current Assets, aLoans & Advances

(i) "Work in Progress Account" लेखा शीर्षक के अन्तर्गत दर्शाई गई राशि ₹8355617493.06 और "Receipt from allottees" लेखा शीर्षक के अन्तर्गत दर्शाई गई राशि ₹7661426305.78 का समायोजन न किया जानाः–

(क) शैडयूल "E" "Current Assets की जांच करने पर पाया गाय कि मद संख्या A1 (i) 6679943187.14 और मद संख्या A(ii) 1675674305.92 जो कि कुल ₹8355617493.06 है लेखा शीर्षक "Work in Progress c/o Buildings" के अन्तर्गत दर्शाई गई थी जबकि अधिकतर हिमुडा कालौनियों का निर्माण कार्य पूर्ण कि जा चुका है और इन हिमुडा कालौनियों को बेचा जा चुका है, और मान्य लेखांकन सिद्धान्तों के अनुसार हिमुडा कालौनियों का निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद लेखा शीर्षक "Work Completed in hand" को डेबिट और "Work in Progress" लेखा शीर्षक को क्रेडिट किया जाना चाहिए था। इस प्रकार हिमुडा कालौनियों की फाइनल कोस्टिंग को फ्लैट/प्लॉट की बिक्री मूल्य से समायोजित किया जाना चाहिए था, और साथ ही लेखा शीर्षक "Assets in Hand" और फाईनल कोस्टिंग ऑफ फ्लैट/प्लाट को फ्लैट/प्लाट की बिक्री मूल्य से घटाने के बाद शेष को लाभ हानि खाते में समायोजित किया जाना चाहिए था परन्तु जॉच के दौरान पाया गया कि हिमुडा अधिकारियों द्वारा ऐसा नहीं किया गया था पूर्ण हो चुकी/बिक्री हो चुकी हिमुडा कालौनियों की लागत को भी लेखा शीर्षक "Work in Progress" के अन्तर्गत दर्शाया जा रहा था जो कि अत्यन्त आपत्तिजनक है। अतः यह मामला आवश्यक कार्यवाही हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार के विशेष ध्यानार्थ लाया जाता है कि वह हिमुडा अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करे ताकि भविष्य में अरावासीय कालौनियों की लागत को फाईनल किया जा सके।

(ख) उपरोक्त के अतिरिक्त शैडयूल "E" में ₹7661426305.78 जोकि "Receipt from Allottee" लेखा शीर्षक के अन्तर्गत थी, को आवासीय कालौनियों की लागत से घटाया से गया था। इस राशि (Receipt from Allottees) को बैलेन्स शीट के "Curresnt Liabilities" के अन्तर्गत दर्शाया जाना चाहिए था, क्योंकि जैसा कि उपरोक्त (क) में वर्णित किया गया है आवासीय कालौनियों की लागत को फाइनल नहीं किया गया है।

(ग) ओवर ड्राफ्ट के ब्याज की राशि ₹132.92 लाख को वर्क इन प्रोग्रैस लेखा शीर्ष में अनुचित प्रकार से समाहित करनाः–

"वर्क इन प्रोग्रैस" लेखा शीर्ष के अन्तर्गत ₹6679943187.14 की राशि विभिन्न निर्माण कार्यों में पूंजीगत व्यय के रूप में दर्शाई गई। उक्त राशि में ₹13292549.00 भी सम्मिलित थी जोकि एक पृथक लेखा शीर्ष "इन्टरैस्ट ऑन ओवर ड्राफ्ट" सें सम्बन्धित थी यह राशि गत वर्षों से संकलित होती चली आ रही है, जिससे वर्तमान वर्ष की ₹4509000.00 की राशि भी सम्मिलित थी। ओवर ड्राफ्ट पर ब्याज की राशि को "वर्क इन प्रोग्रैस" लेखा शीर्ष में समायाजित किया जाना अत्यन्त आपत्तिजनक है क्योंकि यह राशि हिमुडा द्वारा लिए गए अस्थाई ऋण से सम्बन्धित थी, जिसे ध्यान में रखते हुए ओवर ड्राफ्ट के ब्याज की राशि को सीधे लाभ–हानि खाता को चार्ज की जानी अपेक्षित थी। यद्यपि इस सम्बन्ध में अंकेक्षण द्वारा हिमुडा से स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया परन्तु कोई भी उचित स्पष्टीकरण अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार की आपत्तियॉ पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदनों में भी उठाई जाती रही है फिर भी कोई कार्यवाही नियमों को ध्यान में रखते हुए नहीं की गई थी उपरोक्त प्रकरण आवश्यक एवं उचित कार्यवाही हेतु पुनः उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ लाया जाता है।

(ii) "Work in progress as per percentage completion method" लेखा शीर्षक अन्तर्गत दर्शाये गए "Accumulated deemed profits" ₹986180293.14 को समायोजित न करने बारेः–

हिमुडा के वार्षिक लेखों अवधि 2011–12 की जॉच करने पर पाया गया कि लेखा शीर्ष "वर्क इन प्रोग्रैस एव पर परसैंटेज कम्पलीशन मैथड" के अन्तर्गत ₹986180293.14 की राशि शैडयूल "E" मद संख्या A(2) पर दर्शाई गई है। यह राशि वर्ष 2003–04 से 31.3.2012 तक हिमुडा द्वारा प्रत्येक वर्ष के वर्क इन प्राग्रैस में से प्रतिशतं दर्शा कर इतनी ही राशि उपरोक्त वर्णित लेखें को वास्तविक समायोजन किए जाने तक लेखबद्ध की जा रही है। इस सम्बन्ध में हिमुडा अधिकारियों/कर्मचारियों से अंकेक्षण अधियाचना संख्या 122/2013 दिनांक 5.4.2013 के तहत आवश्यक सूचना मॉगी गई थी परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक इस सम्बन्ध कोई सूचना हिमुडा अधिकारियों/कर्मचारियों से प्राप्त नहीं हुई। अंकेक्षण में यह भी पाया गया कि वर्ष 2003–2004 से वर्तमान तक पूर्ण हो चुके निर्माण कार्यों की फाईनल कौस्टिंग नहीं की गई थी

हिमुडा द्वारा अनुमान के आधार पर दर्शाई गई प्राप्ति/आय के अनुसार आयकर विभाग को प्रत्येक वर्ष लाखों रूपये का भुगतान किया गया परन्तु वास्तविक लाभ निकालकर आवश्यक समायोजन किए जाने हेतु कोई भी प्रयास नहीं किए गए थे परिणामस्वरूप लाखों रूपये का भुगतान अनुमानित आय पर किया गया। यह भी सम्भावित है कि अनुमानित प्रतिशतता के आधार पर निर्मित कालौनी का आंका गया लाभ, वास्तव में कम अथवा हानि के रूप में भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में आयकर का भुगतान भी प्रभावित हो सकता है। यद्यपि पूर्ण अंकेक्षण प्रतिवेदनों में भी आपत्ति उठाई गई थी फिर भी इस सम्बन्ध में कोई भी कोई ठोस प्रयास नहीं किए गए है। अतः वर्ष 2011–12 तक जिन कालौनियों के निर्माण की अन्तिम लागत निर्धारणोंपरान्त वास्तविक लाभ/हानि की गणना हेतु उचित कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए।

(iii) "Own Building" लेखा शीप्रक को Current Assets शैडयूल के अन्तर्गत दर्शाये जाने बारे और Rest House at Strawberry Hill को बेचने के बाद भी उसकी बुक वैल्यू को "Own Building" लेखा शीर्षक से समायोजन न करने के बारेः–

शैडयूल "E" में मद संख्या A(3) पर लेखा शीर्षक "Own Building" के अन्तर्गत ₹19051937.43 राशि दर्शाई गई थी जबकि लेखांकन सिद्धान्तों के अनुसार इस लेखा शीर्षक को "Current Assets" के अन्तर्गत दर्शाने कि बजाए "Fixed Assets" शैडयूल के अन्तर्गत दर्शाया जाना चाहिए था। अतः भविष्य में लेखों में आवश्यक सुधार किए जाए। इसके अतिरिक्त जॉच में पाया गया कि रेस्ट हाउस एट स्टर्बरी हिल्स जोकि हिमुडा द्वारा वर्ष 2004–05 में बेचा जा चुका है, की रिटेन डाऊन बेल्यू (wdv) जोकि ₹103721.44 थी को भी "Own Building" के अन्तर्गत शामिल किया गया था। इस स्थिति के आधार पर यह सुझाव दिया जाता है कि इस मामले में आवश्यक छानबीन के उपरान्त रेस्ट हाऊस एंट स्टार्बरी हिल्स के सम्बन्ध में "Own Building" में आवश्यक समायोजन किया जाए ताकि बैलेन्स शीट एक सही स्थिति प्रदर्शित कर सके। यह सुझाव दिया गया जाता है कि हिमुडा अधिकारियों द्वारा "Own Building" लेखा शीर्षक का प्रत्यक्ष सत्यापन अपने तौर पर किया जाए और लेखों में उसी अनुसार लेखांकन किया जाए।

(iv) "Cash in Transit" लेखा शीर्षक के अन्तर्गत ₹10036926.00 को समायोजित न करने के बारेः–

बैलेन्स शीट में "Current Asstes" शीर्ष में शैडयूल "E" में मद संख्या A-10(ii) पर लेखा शीर्षक "Cash in Transit" के अन्तर्गत ₹10036926.00 की राशि दर्शाई गई थी। जॉच में पाया गया कि इस मद से सम्बन्धित स्वतः स्पष्ट अभिलेख वार्षिक लेखों के साथ संलग्न नहीं

किया गया था। अतः इस मद से सम्बन्धित आवश्यक विवरण आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही यह सुझाव भी दिया जाता है कि डिविजन लैबल पर बनाए गए लेखों में इस लेखा शीर्ष को समायोजित किया जाए।

(v) "Deposit Works" लेखा शीर्षक के अन्तर्गत खर्च की गई ₹431013926.78 की वसूली हेतु समयबद्ध प्रयास न किया जानाः—

हिमुडा के वार्षिक लेखों की पड़ताल करने पर पाया गया कि हिमुडा द्वारा डिपोजिट वर्क के आधार पर विभिन्न विभागों/निगमों के निर्माण कार्यों का निष्पादन अग्रिम राशियों की प्राप्ति के बिना किया गया था। सी0पी0डब्लयू0डी0 मैनुअल के पैरा 118 के अनुसार समस्त राशि दायित्व सृजन से पूर्व वसूल की जानी वांन्छित थी परन्तु हिमुडा अधिकारियों द्वारा इसके विपरीत विभिन्न विभागों/निगमों के डिपोजिट कार्य बिना राशियों की प्राप्ति के ही किया गया। जॉच करने पर पाया गया कि वर्ष 2011—12 में ₹431013962.78 की राशि के कार्य सम्बन्धित विभागों/संस्थाओं से बिना धन राशि की प्राप्ति के ही कर दिए गए। यद्यपि अंकेक्षण द्वारा पूर्व वर्षों में बार—बार प्रत्येक वार्षिक प्रतिवेदन में यह गम्भीर आपत्तियॉ उठाई थी फिर भी हिमुडा अधिकारियों द्वारा इसके समाधान हेतु ठोस प्रयास नहीं किए गए। अनेक प्रकरणों में राशियॉ लम्बी अवधि से वसूली हेतु लम्बित चली आ रही है, जैसा की पुलिस विभाग, नवोदय, विद्यालय एवं गवर्नमैन्टरैंटल हाऊसिंग स्कीम के मामले में। हिमुडा कार्यालय द्वारा इस सन्दर्भ में संस्थावार कोई भी स्वतः स्पष्ट अभिलेख तैयार नहीं किया गया जिसके कारण लम्बित राशियों से सम्बन्धित स्वतः स्पष्ट शैडयूल भी तुलन पत्र के साथ संलग्न नहीं किया गया था। विभिन्न संस्थाओं से ली जाने वाली राशि का वर्षवार विवरण संलग्न परिशिष्ट "ङ" पर वर्णित है। यद्यपि लम्बित राशियों की वसूली बारे विस्तृत सूचना अर्थात यह राशियॉ किस निर्माण कार्य/विभाग से सम्बन्धित है किस वर्ष से यह राशियॉ लम्बित चली आ रही है इत्यादि बारे सूचना अंकेक्षण अधियाचना संख्या 112/2013 दिनांक 1.4.2013 के माध्यम से मांगी गई परन्तु कोई भी सूचना अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाई गई। उपरोक्त वर्णित गम्भीर अनियमितता से सम्बन्धित प्रकरण आवश्यक उचित कार्यवाही हेतु विशेष रूप से उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ लाया जाता है।

(vi) सावधि खाते पर अर्जित ब्याज को कम्पाऊंड आधार पर गणना न करने के कारण ₹22427938.36 के अर्जित ब्याज का कम लेखांकन किया जानाः—

तुलन पत्र के शैडयूल "E" Current Assets, Loans & Advances" की मद संख्या B-6 जो कि सावधि खाते पर दिनांक 31.3.2012 तक अर्जित ब्याज से सम्बन्धित है कि पड़ताल करने पर पाया गया कि सावधि खाते पर ब्याज की गणना साधारण आधार अर्थात वार्षिक आधार पर की जा रही थी जबकि नियमानुसार सावधि खाते पर ब्याज की गणना तीन

मास की अवधि समाप्ति के बाद कम्पाऊंड आधार पर की जानी अपेक्षित थी। सावधि खाते पर ब्याज की गणना साधारण आधार अर्थात वार्षिक आधार पर करने के कारण बैंक से अर्जित ब्याज और सावधि खाते रजिस्टर एवं तुलन पत्र में वर्णित ब्याज राशि में ₹22427938.36 का अन्तर था जिसका पूर्ण विवरण संलग्न परिशिष्ट "च" पर वर्णित है। साथ ही ऐसा करने से तुलन पत्र में दिनांक 31.3.2012 तक अर्जित ब्याज की राशि ₹22427938.36 कम दर्शाई जा रही है। जिसके कारण तुलन पत्र बनाने के लिए प्रचलित लेखांकन सिद्धान्तों का भी पूर्ण रूप से पालन नहीं किया जा रहा है। अतः तुलन पत्र वर्ष 2011–12 में दिनांक 31.3.2012 तक ₹22427938.36 ब्याज के रूप में कम दर्शाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व कम दर्शाये गए अर्जित ब्याज की गणना तीन मास की अवधि समाप्ति के बाद कम्पाऊंड आधार पर की जानी सुनिश्चित की जाए और साथ ही अर्जित ब्याज और दर्शाई गई ब्याज की राशि के अन्तर को ठीक करने के लिए आवश्यक लेखा प्रविष्टि लेखा पुस्तकों में की जानी सुनिश्चित की जाए।

(vii) ₹33367597.52 के स्टॉफ अग्रिम और अन्य विविध अग्रिमों को लम्बी अवधि के उपरान्त भी समायोजित न किया जानाः–

शैडयूल"E" मद संख्या B(7 & 8) लेखा शीर्षक "Staff Advances and Other Miscellaneous Advances" के अन्तर्गत ₹33367597.52 की राशि दर्शाई गई थी। जॉच करने पर पाया गया कि यह राशि इस लेखा शीर्षक के अन्तर्गत पिछले कई वर्षों से दर्शाई जा रही थी परन्तु इस राशि को समायोजित करने के कोई विशेष प्रयास नहीं किए जा रहे है अतः इस लेखा शीर्षक के अन्तर्गत दर्शाई गई राशि को समायोजित करने के समयबद्ध प्रयास किए जाने चाहिए और साथ ही इन देय अग्रिमों के सम्बन्ध में स्वतः स्पष्ट विवरण तैयार किया जाए जिसे आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(viii) "Cash Settlement Suspense Account" लेखा शीर्षक के अन्तर्गत दर्शाई गई राशि ₹5505984.47 को समायाजित न किया जानाः–

शैडयूल "E" मद संख्या B (10) लेखा शीर्षक "Cash Settlement Suspense Account" के अन्तर्गत ₹5505984.47 की राशि को दर्शाया गया था। यह लेखा शीर्षक हिमुडा और उसके विभिन्न निर्माण मण्डलों के बीच "Cash Settlement Suspense Account" को समायोजित नहीं करने को स्पष्ट करता है। वर्षवार CSSA सारणी जिसका विवरण निम्न दिया गया है जो यह दिखाता है कि इस लेखा शीर्षक के अन्तर्गत राशि लगातार बढ़ती जा रही है जबकि मान्य लेखांकन सिद्धान्तों अनुसार वर्ष के अन्त में यह खाते का शेष "Nil" होना चाहिए साथ ही हिमुडा अधिकारियों द्वारा इस CSSA लेखा शीर्षक के सम्बन्ध में कोई स्वतः स्पष्ट

अभिलेख भी तैयार नहीं किया यगा था जिसके अभाव में यह जॉच नहीं की जा सकी कि यह राशि किस वर्ष और किस तिथि से समायोजन के लिए शेष है। अतः यह गम्भीर मामला पुनः उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ आवश्यक उचित कार्यवाही हेतु लाया जाता है।

Years	**Balance**	**Inreease**
2002-03	468443.00	---------
2003-04	1555799.83	1087356.82
2004-05	1016757.73	(-)539042.10
2005-06	1216277.15	99519.42
2006-07	3596406.15	2380129.00
2007-08	3007694.15	688712.00
2008-09	3548414.47	540720.00
2009-10	2667301.47	(-)881113.00
2010-11	5757769.47	3090468.00
2011-12	5505769.47	(-) 251785.00

(ix) "Cost of Sale Receivable" लेखा शीर्ष अन्तर्गत दर्शाई गई ₹40238317.78 से सम्बन्धित स्वतः स्पष्ट अभिलेख तैयार न करनाः–

शैडयूल "E" मद संख्या B (11) लेखा शीर्ष "कॉस्ट ऑफ सेल रिसीवेबल" के अन्तर्गत ₹40238317.78 की राशि को दिनांक 31.3.2012 को शेष दर्शाई गई थी जॉच में पाया गया कि उक्त शेष के समर्थन में कोई भी स्वतः स्पष्ट अभिलेख तैयार नहीं किया गया था। केवल कौस्ट रिसीवेबल की लूज शीट ही तैयार की गई है जिसे किसी भी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा सत्यापित भी नहीं किया गया । इसके अतिरिक्त वर्षात में इन राशियों का मिलान भी खाता वही के साथ नहीं किया गया था परिणामस्वरूप लाखों रूपयों का अन्तर तैयार अभिलेख व खाता वही शेष में पाया गया इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि कालौनियों की पूर्व लागत का समायोजन अर्थात फाईनल कौस्टिंग कर ली गई है उनके आंबटियों से प्राप्त हो रही राशियॉ भी बिना समायोजन किए ही किस्त प्राप्ति लेखा शीर्ष में ही अनिसमित प्रकार से दर्शाया गया है यद्यपि पाई गई उपरोक्त वर्णित गम्भीर अनियमितताएं पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदनों में भी उठाई जाती रही है परन्तु आवश्यक सुधार हेतु कोई भी प्रयास नहीं किए जा रहे है। अतः यह गम्भीर मामला पुनः उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ आवश्यक उचित कार्यवाही हेतु लाया जाता है, साथ ही यह सुझाव दिया जाता है कि इस लेखा शीर्षक को शीध्र समायोजित किया जाए।

(x) (–)₹5592573.00 को "Recoverable from H.P. Govt. on account of GRHS excuted by HPPWD" & "Police Rental Housing Scheme" लेखा शीर्षक के अन्तर्गत "Current Asstes" शैडयूल में गलत ढ़ंग से दर्शाने बारेः–

शैडयूल "E" मद संख्या B (13 & 14) पर राशि (–)₹5592573.00 (₹3398200.00+₹2194373.00) को "Recoverable from H.P. Govt. on account of GRHS aecuted by HPPWD" & "Police Rental Housing Scheme" लेखा शीर्षक के अन्तर्गत "Current Assets" शैडयूल में गलत ढ़ंग से दर्शाया गया था इस राशि को दायित्व पक्ष की ओर दर्शाया जाना चाहिए था। अतः इस दायित्व को वास्तविक स्थिति के आधार पर समायोजित करवाया जाए।

(xi) "Maintenance, Water Charges & Rent Receivable" की ₹29753488.25 की वसूली न करने बारे

शैडयूल "E" मद संख्या 16. 17 & 18 पर Maintenance, Water Charges & Rent Receivable" शीर्षक के अन्तर्गत पर ₹29753488.25 की राशि दर्शाई गई थी यह राशि विभिन्न आवासीय कालौनियों के रखरखाव पानी शुल्क और किराए से सम्बन्धित थी।

Sr. No.	*Year*	*Amount Recevable*
1	2007-08	17267815
2	2008-09	19330007
3	2009-10	24883502
4	2010-11	29277194
5	2011-12	29753488.25

ऊपर वर्णित वर्षवार सारणी से यह स्पष्ट है कि Maintenance, Water Charges & Rent Receivable" चार्जिस में वर्ष दर वर्ष बढ़ौतरी हो रही हे। अतः इन चार्जिज की समयबद्ध ढ़ंग से वसूली हेतु हिमुडा हैंड ऑफिस द्वारा सभी निर्माण मण्डलों को आवश्यक निर्देश दिए जाए जिससे इन चार्जिज की वसूलही अतिशीध्र हो सके।

(xii) ₹127693313.98 की राशि को Income Tax Recoverable A/C from IT Deptt. लेखा शीर्षक और (–) ₹937120.00 लाख की राशि को Income Tax Refund लेखा शीर्षक के अन्तर्गत दर्शाये जाने बारेः:–

(क) तुलन पत्र व खाता वही पृष्ठ संख्या 330, 331, 332 और 335 पर Income Tax Recoverable A/C लेखा शीर्षक के अन्तर्गत ₹127693313.98 की राशि "Current Asstes Schedule –E (Sr. No. 19, 20 21, 22, 24, 25, 26) में दर्शाई गई थी। जॉच करने पर पाया गया कि यह राशि वर्ष 2005–06 से भी पीछे से लम्बित चली आ रही है, जिसका विवरण

संलग्न परिशिष्ट "छ" पर वर्णित है इतनी बड़ी राशि का आयकर विभाग को विभिन्न वर्षो के दौरान अग्रिम रूप में भुगतान करना और लम्बे समय तक आयकर विभाग के साथ अपनी आयकर देनदारियों का निर्धारण नहीं करना अपने आप में संदेस्पद है। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियानचा संख्या 133/2013 दिनांक 11.4.2013 के तहत हिमुडा अधिकारियों से निमन सूचना हेतु अनुरोध किया गया था परन्तु इस सम्बन्ध में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई।

(ख) तुलन पत्र व खाता वही पृष्ठ संख्या 335 पर Income Tax Refund Account लेखा शीर्षक के अन्तर्गत(–) ₹937120.00 की राशि Current Assets Shedule-E (Sr. No. 23) में दर्शाई गई थी जॉच करने पर पाया गया कि यह राशि वर्ष 2009–10 से सम्बन्धित है। जैसा कि इस लेखा शीर्षक से पता चलता है कि यह राशि आयकर विभाग से आयकर रिफंड से सम्बन्धित थी, अब यदि यह आयकर की वापिसी (रिफंड) था तो यह राशि (–) में दिखाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 134/2013 दिनांक 11.4.2013 के तहत हिमुडा अधिकारियों से इस सम्बन्ध में सूचना प्रदान करने का अनुरोध किया गया परन्तु कोई सूचना अंकेक्षण समाप्ति तक प्राप्त नहीं हुई।

अतः उपरोक्त के पैरा (क) के सन्दर्भ में अंकेक्षण की ओर से यह सुझाव दिया जाता है कि आयकर विभाग से इस सम्बन्ध में मामला उठाया जाए और आयकर विभाग को किए गए अग्रिम भुगतान के सम्बन्ध में रिफंड/प्राप्ति हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाए। साथ ही पैरा (ख) के सन्दीा में अंकेक्षण की और से यह सुझाव दिया जाता है कि आयकर की वापिसी (रिफंड) को अग्रिम आयकर से समायोजित किया जाए। अनुपालना से इस विभाग को शीध्र सूचित किया जाए।

(xiii) लेखा शीर्ष "Adjustable Amount (JNNURM) ₹31069839.74 को अनियमित रूप से लेखा शीर्षक "Rectification" के अन्तर्गत समायोजित करने बारेः–

हिमुडा के वार्षिक लेखा में "Current Assets, Loans & Advances शैडयूल "E" के क्रम संख्या B(32) पर "रैक्टीफिकेशन" लेखा शीर्षक की जॉच करने पर पाया गया कि इस लेखा शीर्ष में एक अन्य लेखा शीर्ष "Adjustable Amount (JNNURM) की राशि ₹31069839.74 को अनियमित रूप से इस वर्ष अर्थात वित्तीय वर्ष 2011–12 के दौरान समायोजित किया गया था, जबकि इससे पूर्व के वित्तीय वर्षो के दौरान इस लेखा शीर्ष को अलग से "Current Assets, Loans & Advances के अन्तर्गत दर्शाया जाता रहा है। इस लेखा शीर्ष "Adjustable Amount (JNNURM) की राशि ₹31069839.74 को अलग से दर्शाया जाना उचित था क्योंकि यह राशि (JNNURM) Account से सम्बन्धित थी और उसी लेखा शीर्ष से ही समायोजित की जानी चाहिए थी, परन्तु हिमुडा द्वारा इस लेखा शीर्ष को अनियमित रूप से

दूसरी प्रकृति के "रैक्टीफिकेशन" लेखा शीर्षक में समायोजित किया गया, जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। अतः इस चूक का सुधार किया जाए। भविष्य में इस प्रकार के लेखा शीर्षों को आपस में समायोजित करने से परिहार किया जाए।

(xiv) ₹8.98 करोड़ के लेखों का समायोजन नहीं किया जानाः–

शैडयूल "E" में शीर्षक "Current Assets, Loans & Advances के अन्तर्गत निम्न लेखा शीर्षक के अन्तर्गत राशियॉ कई वर्षों से दर्शाई जा रही थी और वर्षों उपरान्त बाद भी इन लेखा शीर्षकों के अन्तर्गत दर्शाई गई राशियों को समायोजित करने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। अतः लेखा शीर्षकों के अन्तर्गत दर्शाई जा रही राशियों को समायोजित करने के लिए गम्भीर प्रयास किए जाए।

Sr. No.	Head	Amount (`₹) in lac	Remarks
1	Works Completed in Han	448.09	The amount is pending for final settlement for last so many years
2	Material for works instore (NVP)	39.36	The amount is pending for final settlement for twelve years
3	Sundry Debtors	85.04	The amount is pending for final settlement for twelve years
4	Other miscellancous advances (NVP)	2.41	The amount is pending for final settlement for twelve years
5	TDS recoverable from IT department	1.51	The amount is pending for final settlement for several years
6	Suspense a/c	5.76	The amount is pending for final settlement for several years
7	Rectification	316.20	The amount is pending for final settlement for several years
	Total	**898.37**	

21 लाभ और हानि लेखा अवधि 01.04.2011 से 31.03.2012

हिमुडा का वर्ष 2011–12 का लाभ–हानि खाता में आय ₹271003916.20 और व्यय ₹270207703.89 दर्शाया गया था। परिणामस्वरूप ₹796212.31 का लाभ आयकर कटौती से पूर्व था और आयकर कटौती राशि ₹246030.00 के बाद शुद्ध लाभ ₹550182.31 था को कि "Reserve & Suplus Account" लेखा शीर्षक को हस्तांतरित किया गया था। लाभ हानि खाते से सम्बन्धित निम्न आपत्तियॉ पाई गईः–

21.1 एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस/विभागीय चार्जिस की तुलना में "स्थापना व्यय" पर ₹68843110.00 का अधिक व्ययः–

"स्थापना व्यय" पर वर्ष 2011–12 के दौरान ₹181847465.00 का व्यय किया गया था, जबकि इस दौरान एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जिस/विभागीय चार्जिस ₹113004355.00 की राशि हिमुडा द्वारा विभिन्न विभागों से प्राप्त की गई थी तुलनात्मक विश्लेषण से यह ज्ञापन होता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जिस/विभागीय चार्जिस की तुलना में "संस्थापना" पर ₹68843110.00 (₹181847465.00(–)₹113004355.00=₹68843110.00) का अधिक व्यय किया गया था। अतः हिमुडा अधिकारियों को यह सुझाव दिया जाता है कि वे अपनी निर्माण गतिविधियां बढ़ाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जिज/विभागीय चार्जिस कि प्राप्ति हो सके और "संस्थापना" एवं एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जिज/विभागीय चार्जिस के बीच के शेष को पूर्ण किया जा सके।

21.2 आवासीय कालौनियों के रख–रखाव पर ₹26239829.00 की हानिः–

हिमुडा द्वारा अपनी हाऊसिंग कलौनियों के रख रखाव पर वर्ष 2011–12 के दौरान ₹36373863.00 का व्यय किया गया था जबकि इन कालौनियों से रख रखाव शुल्क के रूप में ₹10134034.00 की प्राप्ति की गई थी, तुलनात्मक विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि रख रखाव पर किए गए व्यय की तुलना में रख रखाव के लिए प्राप्त शुल्क पर ₹26239829.00 (₹10134034.00(–)₹36373863.00=₹26239829.00) का अधिक व्यय किया गया था। अतः हाऊसिंग कलौनियों के रख रखाव पर आय की तुलना में अधिक व्यय को न्यायोचित ठहराया जाए। साथ ही हिमुडा अधिकारियों को यह सुझाव दिया जाता है कि हाऊसिंग कलौनियों के रख रखाव पर व्यय रख रखाव शुल्क की प्राप्ति के बराबर किया जाए ताकि इस हानि से बचा जा सके।

21.3 निर्माण कार्यों को ₹607455.00 का अधिक डेबिटः–

लाभ हानि खाते में "Repair & maintenance of Vehicles" लेखा शीर्षक के अन्तर्गत (–) ₹607455.00 की राशि लाभ हानि खाते के डेबिट साईड दर्शाई गई थी जिससे यह ज्ञात होता है कि इस लेखा शीर्षक के अन्तर्गत हिमुडा द्वारा वाहनों से आय अर्जित की गई है जबकि इस लेखा शीर्षक के अन्तर्गत हिमुडा के वाहनों का व्यय वर्कस को चार्ज किया जाता है जो वर्क्स के कामों में लगे हुये है, इस राशि का (–) में दर्शाने से यह पता चलता है कि ऐसे वाहनों का व्यय भी वर्कस को चार्ज किया गया है जो प्रशासन के कार्य में लगे हुये है जो कि मान्य लेखांकन सिद्धान्तों के विरूद्ध है। अतः "Repair & maintenance of Vehicles" लेखा शीर्षक के अन्तर्गत (–) राशि दर्शाने को न्यायोचित ठहराया जाए।

21.4 ₹18316743.00 को अनियमित रूप से गलत लेखा शीर्षक के अन्तर्गत क्रेडिट किया जानाः–

लाभ हानि खाते में "Surplus on sale of Colonies" लेखा शीर्षक के अन्तर्गत ₹18316743.00 की राशि दर्शाई गई थी यह राशि विभिन्न कालौनियों के निर्माण पर "Percentage of Completion Method" के आधार पर तय किए गए वार्षिक लाभ से सम्बन्धित थी। इस प्रकार इस लाभ को "Surplus on sale of Method" के आधार पर तय किए गए वार्षिक लाभ से सम्बन्धित थी। इस प्रकार इस लाभ को "Surplus on sale of Colonies" लेखा शीर्षक के स्थान पर Profit on work in Progress लेखा शीर्षक के अन्तर्गत दर्शाया जाना चाहिए था। अतः इस लेखा शीर्षक की हिमुडा द्वारा अपने स्तर पर छानबीन की जाए और उसी अनुसार लेखों में आवश्यक सुधार किए जाए अन्यथा इस लेखा शीर्षक का औचित्य स्पष्ट किए जाए।

21.5 ₹2162226.40 से स्टॉक व स्टोरेज चार्जिज को ज्यादा क्रेडिट दिये जाने बारेः–

लाभ हानि खाते में "स्टॉक व स्टोरेज चार्जिज" लेखा शीर्षक के अन्तर्गत (–) ₹2162226.40 की राशि लाभ हानि खाते के डेबिट साईड दर्शाई गई थी जिससे यह ज्ञात होता है कि इस लेखा शीर्षक के अन्तर्गत हिमुडा द्वारा स्टॉक और स्टोरेज से आय अर्जित की गई थी यदि यह आय थी तो इसे लाभ हानि खाते के क्रेडिट साईड दर्शाना चाहिए था। अतः "स्टॉक व स्टोरेज चार्जिज" लेखा शीर्षक के अन्तर्गत आय अर्जित करने को न्यायोचित ठहराया जाए।

22 लघु आपति विवरणिका :– यह अलग से जारी नहीं की गई है।

23 निष्कर्ष :– लेखों में अत्याधिक सुधार की आवश्यकता है

हस्ता/
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्या :– फिन(एल0ए)एच(2)सी(15)(14)122/88–खण्ड–11–7486–7487 दिनांक 12.11.2013, शिमला–09

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जाती है।

(1) प्रधान सचिव (आवास) हि0 प्र0 सरकार शिमला–2

पंजीकृत :– (2) मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सचिव हि0 प्र0 आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण मुख्यालय, शिमला–2 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्शाई गई आपत्तियों का सटिप्पण उत्तर प्रतिवेदन जारी होने के एक मास के भीतर इस विभाग को प्रस्तुत करें।

हस्ता/
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

परिशिष्ट ''क''   अंकेक्षण प्रतिवेदन पैरा 1 (ग) में सन्दर्भित

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/85 से 3/86

1	पैरा 13	अनिर्णीत

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/90 से 3/91

1	पैरा 6 (ग)	अनिर्णीत
2	पैरा 6 (ङ)	अनिर्णीत
3	पैरा 6 (च)	अनिर्णीत

(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/92 से 3/93

1	पैरा 8 (क)	अनिर्णीत
2	पैरा 8 (ग)	अनिर्णीत
3	पैरा 8 (ङ)	अनिर्णीत

(घ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/96 से 3/97

1	पैरा 10	अनिर्णीत

(ङ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/97 से 3/98

1	पैरा 23(ख)	अनिर्णीत
2	पैरा 27	अनिर्णीत
3	पैरा 29(1)	अनिर्णीत
4	पैरा 29(2)	अनिर्णीत
5	पैरा 29(3)	अनिर्णीत

(च) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/98 से 3/99

1	पैरा 9	अनिर्णीत

(छ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/99 से 3/2000

1	पैरा 7	अनिर्णीत
2	पैरा 13	अनिर्णीत
3	पैरा 15	अनिर्णीत
4	पैरा 26	अनिर्णीत
5	पैरा 29 (2)	अनिर्णीत

(ज) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2000 से 3/2001

1	पैरा 7	अनिर्णीत
2	पैरा 8	अनिर्णीत
3	पैरा 9	अनिर्णीत
4	पैरा 14	अनिर्णीत
5	पैरा 18	अनिर्णीत
6	पैरा 19	अनिर्णीत
7	पैरा 21	अनिर्णीत
8	पैरा 26	अनिर्णीत
9	पैरा 27	अनिर्णीत
10	पैरा 32	अनिर्णीत
11	पैरा 61	अनिर्णीत

(झ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2001 से 2/2002

1	पैरा 6	अनिर्णीत
2	पैरा 7	अनिर्णीत
3	पैरा 8	अनिर्णीत
4	पैरा 9 (1 से 3)	अनिर्णीत
5	पैरा 15 (1)	अनिर्णीत
6	पैरा 27	अनिर्णीत
7	पैरा 31	अनिर्णीत
8	पैरा 47	अनिर्णीत

9	पैरा 48	अनिर्णीत
10	पैरा 50	अनिर्णीत
11	पैरा 51	अनिर्णीत
12	पैरा 52	अनिर्णीत
13	पैरा 53	अनिर्णीत

(ञ) <u>अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2002 से 3/2003</u>

1	पैरा 13	अनिर्णीत
2	पैरा 18 (1)	अनिर्णीत
3	पैरा 18 (2)	अनिर्णीत
4	पैरा 18 (3)	अनिर्णीत
5	पैरा 20	अनिर्णीत
6	पैरा 22	अनिर्णीत
7	पैरा 35 (क से छ)	अनिर्णीत

(ट) <u>अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2003 से 3/2004</u>

1	पैरा 13	अनिर्णीत

(ठ) <u>अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2004 से 3/2005</u>

1	पैरा 8	अनिर्णीत
2	पैरा 10	अनिर्णीत
3	पैरा 11	अनिर्णीत
4	पैरा 12 (ख)	अनिर्णीत
5	पैरा 12 (ग)	अनिर्णीत
6	पैरा 13	अनिर्णीत
7	पैरा 15	अनिर्णीत
8	पैरा 23	अनिर्णीत
9	पैरा 29(1)	अनिर्णीत
10	पैरा 29(2)	अनिर्णीत
11	पैरा 30(क,ख,ग)	अनिर्णीत
12	पैरा 35	अनिर्णीत

(ड) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2005 से 3/2006

1	पैरा 6(1)	अनिर्णीत
2	पैरा 6(2)	अनिर्णीत
3	पैरा 6(4)	अनिर्णीत
4	पैरा 6(6)	अनिर्णीत
5	पैरा 8	अनिर्णीत
6	पैरा 9	अनिर्णीत
7	पैरा 11	अनिर्णीत
8	पैरा 12	अनिर्णीत
9	पैरा 13	अनिर्णीत
10	पैरा 23(1)	अनिर्णीत
11	पैरा 23(2)	अनिर्णीत
12	पैरा 25	अनिर्णीत
13	पैरा 31	अनिर्णीत
14	पैरा 32	अनिर्णीत

(ढ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2006 से 3/2007

1	पैरा 12	अनिर्णीत
2	पैरा 20	अनिर्णीत
3	पैरा 23	अनिर्णीत
4	पैरा 24	अनिर्णीत
5	पैरा 25	अनिर्णीत
6	पैरा 26	अनिर्णीत
7	पैरा 27	अनिर्णीत
8	पैरा 31	अनिर्णीत

(ण) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 3/2008

1	पैरा 13	अनिर्णीत
2	पैरा 14	अनिर्णीत
3	पैरा 15	अनिर्णीत

4	पैरा 16	अनिर्णीत
5	पैरा 17	अनिर्णीत
6	पैरा 18	अनिर्णीत
7	पैरा 19	अनिर्णीत
8	पैरा 20	अनिर्णीत
9	पैरा 21	अनिर्णीत
10	पैरा 22	अनिर्णीत
11	पैरा 23	अनिर्णीत
12	पैरा 24	अनिर्णीत
13	पैरा 27	अनिर्णीत
14	पैरा 29	अनिर्णीत
15	पैरा 30	अनिर्णीत

(त) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2008 से 3/2009

1	पैरा 10	अनिर्णीत
2	पैरा 18(क)	अनिर्णीत
3	पैरा 18(ख)	अनिर्णीत
4	पैरा 18(ग)	अनिर्णीत
5	पैरा 18(घ)	अनिर्णीत
6	पैरा 18(ङ)	अनिर्णीत
7	पैरा 18(च)	अनिर्णीत
8	पैरा 18(छ)	अनिर्णीत
9	पैरा 18(ज)	अनिर्णीत
10	पैरा 19	अनिर्णीत
11	पैरा 20	अनिर्णीत
12	पैरा 22	अनिर्णीत
13	पैरा 23	अनिर्णीत
14	पैरा 26	अनिर्णीत

(थ) <u>अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2009 से 3/2010</u>

1	पैरा 4	अनिर्णीत
2	पैरा 5	अनिर्णीत
3	पैरा 6(क)	अनिर्णीत
4	पैरा 6(ख)	अनिर्णीत
5	पैरा 6(ग)	अनिर्णीत
6	पैरा 7	अनिर्णीत
7	पैरा 8	अनिर्णीत
8	पैरा 9	अनिर्णीत
9	पैरा 10	अनिर्णीत
10	पैरा 11	अनिर्णीत
11	पैरा 12	अनिर्णीत
12	पैरा 13	अनिर्णीत
13	पैरा 14	अनिर्णीत
14	पैरा 15	अनिर्णीत
15	पैरा 16(क)	अनिर्णीत
16	पैरा 16(ख)	अनिर्णीत
17	पैरा 17	अनिर्णीत
18	पैरा 18	अनिर्णीत
19	पैरा 19	अनिर्णीत
20	पैरा 20	अनिर्णीत
21	पैरा 21(1)	अनिर्णीत
22	पैरा 21(2)	अनिर्णीत
23	पैरा 21(3)	अनिर्णीत
24	पैरा 21(4)	अनिर्णीत
25	पैरा 22	अनिर्णीत
26	पैरा 23	अनिर्णीत
27	पैरा 24	अनिर्णीत

28	पैरा 25	अनिर्णीत
29	पैरा 26	अनिर्णीत
30	पैरा 27	अनिर्णीत
31	पैरा 28	अनिर्णीत
32	पैरा 29	अनिर्णीत
33	पैरा 30	अनिर्णीत
34	पैरा 31(1)	अनिर्णीत
35	पैरा 31(2)	अनिर्णीत
36	पैरा 32	अनिर्णीत
37	पैरा 33	अनिर्णीत
38	पैरा 34	अनिर्णीत
39	पैरा 35(1)	अनिर्णीत
40	पैरा 35(2)	अनिर्णीत
41	पैरा 36	अनिर्णीत
42	पैरा 37	अनिर्णीत
43	पैरा 38	अनिर्णीत
44	पैरा 39	अनिर्णीत
45	पैरा 40	अनिर्णीत
46	पैरा 41	अनिर्णीत
47	पैरा 42	अनिर्णीत
48	पैरा 43	अनिर्णीत
49	पैरा 44	अनिर्णीत
50	पैरा 45	अनिर्णीत
51	पैरा 46	अनिर्णीत
52	पैरा 47	अनिर्णीत

(थ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2010 से 3/2011

1	पैरा 4	अनिर्णीत
2	पैरा 4.1	अनिर्णीत
3	पैरा 5	अनिर्णीत
4	पैरा 6	अनिर्णीत

5	पैरा 7	अनिर्णीत
6	पैरा 8	अनिर्णीत
7	पैरा 8.1	अनिर्णीत
8	पैरा 8.2	अनिर्णीत
9	पैरा 8.3	अनिर्णीत
10	पैरा 8.4	अनिर्णीत
11	पैरा 8.5	अनिर्णीत
12	पैरा 8.6	अनिर्णीत
13	पैरा 8.7	अनिर्णीत
14	पैरा 8.8	अनिर्णीत
15	पैरा 8.9	अनिर्णीत
16	पैरा 8.10	अनिर्णीत
17	पैरा 8.11	अनिर्णीत
18	पैरा 9	अनिर्णीत
19	पैरा 9.1	अनिर्णीत
20	पैरा 10	अनिर्णीत
21	पैरा 11	अनिर्णीत
22	पैरा 12	अनिर्णीत
23	पैरा 13	अनिर्णीत
24	पैरा 14	अनिर्णीत
25	पैरा 14.1	अनिर्णीत
26	पैरा 14.2	अनिर्णीत
27	पैरा 14.3	अनिर्णीत
28	पैरा 14.4	अनिर्णीत
29	पैरा 15	अनिर्णीत
30	पैरा 16	अनिर्णीत
31	पैरा 17	अनिर्णीत
32	पैरा 17.1	अनिर्णीत
33	पैरा 18	अनिर्णीत
34	पैरा 19	अनिर्णीत
35	पैरा 19.1	अनिर्णीत
36	पैरा 20	अनिर्णीत

37	पैरा 21	अनिर्णीत
38	पैरा 22	अनिर्णीत
39	पैरा 23 (क) (ख)	अनिर्णीत
40	पैरा 24	अनिर्णीत
41	पैरा 25	अनिर्णीत
42	पैरा 25.1	अनिर्णीत
43	पैरा 25.2	अनिर्णीत
44	पैरा 26	अनिर्णीत
45	पैरा 27	अनिर्णीत
46	पैरा 28	अनिर्णीत
47	पैरा 29	अनिर्णीत
48	पैरा 30	अनिर्णीत
49	पैरा 31	अनिर्णीत
50	पैरा 31.1	अनिर्णीत
51	पैरा 31.2	अनिर्णीत
52	पैरा 31.3	अनिर्णीत
53	पैरा 32	अनिर्णीत
54	पैरा 33	अनिर्णीत
55	पैरा 34	अनिर्णीत

पूर्व शिमला विकास प्राधिकरण के मुख्यालय से सम्बन्धित पैरे :–

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/89 से 3/90

1	पैरा 27	अनिर्णीत

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/90 से 3/91

1	पैरा 63	अनिर्णीत

(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/91 से 3/92

1	पैरा 5 (ण)	अनिर्णीत
2	पैरा 5 (न)	अनिर्णीत
3	पैरा 6 (ठ)	अनिर्णीत

(घ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/92 से 3/93

1	पैरा 5	अनिर्णीत
2	पैरा 28	अनिर्णीत

(ङ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/93 से 3/94

1	पैरा 7	अनिर्णीत
2	पैरा 30 (ए से सी)	अनिर्णीत

(च) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/94 से 3/95

1	पैरा 9	अनिर्णीत
2	पैरा 19	अनिर्णीत
3	पैरा 23	अनिर्णीत

(छ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/95 से 3/96

1	पैरा 6	अनिर्णीत
2	पेरा 12(5,6,9)	अनिर्णीत
3	पैरा 15(5 व 7)	अनिर्णीत
4	पैरा 19(डी व ई)	अनिर्णीत
5	पैरा 32(ए)	अनिर्णीत

(ज) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/96 से 3/97

1	पैरा 4(11)	अनिर्णीत
2	पैरा 6(ज)	अनिर्णीत
3	पैरा 9(एफ)	अनिर्णीत
4	पैरा 11(1)	अनिर्णीत
5	पैरा 11(2)	अनिर्णीत
6	पैरा 11(3)	अनिर्णीत
7	पैरा 12(1)	अनिर्णीत
8	पैरा 12(2)	अनिर्णीत
9	पैरा 12(4)	अनिर्णीत
10	पैरा 26(क)	अनिर्णीत
11	पैरा 26(ख)	अनिर्णीत

(झ) <u>अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/97 से 3/98</u>

1	पैरा 6	अनिर्णीत
2	पैरा 8(क)	अनिर्णीत
3	पैरा 8(ग),(क)	अनिर्णीत
4	पैरा 8(ग,ख)	अनिर्णीत
5	पैरा 17(1)	अनिर्णीत
6	पैरा 17(2)	अनिर्णीत
7	पैरा 18(ख)	अनिर्णीत
8	पैरा 18(ग)	अनिर्णीत
9	पैरा 18(झ)	अनिर्णीत
10	पैरा 20(ग)(1)	अनिर्णीत
11	पैरा 20 (छ) (क्रम संख्या 1,2,3,8 को छोड़कर)	अनिर्णीत

(ञ) <u>अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/98 से 3/99</u>

1	पैरा 8(ए)	अनिर्णीत
2	पैरा 8(बी)	अनिर्णीत
3	पैरा 13	अनिर्णीत
4	पैरा 14	अनिर्णीत
5	पैरा 17	अनिर्णीत
6	पैरा 19 (क्रम संख्या 11,13,15)	अनिर्णीत
7	पैरा 24 (ग)	अनिर्णीत

(ट) <u>अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/99 से 15.01.2001</u>

1	पैरा 3	अनिर्णीत
2	पैरा 10	अनिर्णीत
3	पैरा 13 (ग)	अनिर्णीत
4	पैरा 13 (घ)	अनिर्णीत
5	पैरा 13 (ङ)	अनिर्णीत
6	पैरा 13 (छ)	अनिर्णीत
7	पैरा 13(ज,झ,ञ,ट,ठ,ड,त,थ,द,ध)	अनिर्णीत
8	पैरा 14(2,3,4)	अनिर्णीत